

INDEX		
S.No.	Content	Page nos.
1	4 point query reply by PP	1-4
2	Annex I CAT Plan correspondences & Vachan Patra (Rs. 8447900/- deposited in CAMPA fund vide UTR NO. UCBAH21312039819 Dt: 08.11.2021 against implementation of CAT plan)	5-50
3	Annex II Wild Life Conservation Plan Correspondences	51-60
4	Annex III Details in respect of degraded forest land proposed for afforestation in lieu of safety zone	61-84
5	Annex IV Status of reclamation along with Biological reclamation plan, Google Earth Image & photographs	85-100

SEEPAT ROAD
P.O.: SECL
BILASPUR



साउथईस्टर्नकोल्डफिल्डलिमिटेड
South Eastern Coalfields Limited
(कोलइण्डियाकाएकअंश/A subsidiary of Coal India Ltd.)
CIN U10102CT1985GOI003161



STD :07815 275430(O)
: 7815 275032(R)
Fax :07815 275434
email :gevraenvt@gmail.com

Website : www.secl-cil.in

कार्यालय: महाप्रबंधक, गेवरा क्षेत्र

OFFICE OF THE GENERAL MANAGER
GEVRA AREA

पो(03A): गेवरा प्रोजेक्ट
जिला: कोरबा (छत्तीसगढ़)
पिन: 495452

P.O. : GEVRA PROJECT
Distt.: Korba (C.G.)
Pin: 495452

क्रमांक/एस.ई.सी.एल/मप्र/गे.क्षे./ पर्यावरण/2021 / 251

दिनांक 10/11/2021

प्रति,
वनमण्डलाधिकारी,
कटघोरा वनमण्डल, कटघोरा
जिला-कोरबा (छ.ग.)

Sub:-Proposal seeking prior approval for the Central government under Section -2 of the Forest (Conservation) Act, 1980 for non-forestry use of diversion of 112.385 ha of Revenue forest land for Gevra open Cast Mine (OCP) in Katghora Forest Range, District- Korba Chhattisgarh-reg,

Ref:-Government of India Ministry of Environment, Forest and Climate Change (FC Division) Date: 16/09/2021.

उपरोक्त संदर्भित विषयांतर्गत मांगी गई अतिरिक्त जानकारी बिन्दु वार आपकी ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

क्र०	शर्त	अनुपालन
i.	Complete compliance of condition no. (xii) of Stage I approval regarding preparation of CAT Plan has not been submitted as desired under point no. (iii) of this Ministry's letter dated 22.01.2021. Further, copy of CAT plan. stated to be submitted. has not been received along with the compliance. अतिरिक्त जानकारी जो कि मंत्रालय द्वारा 22/01/2021 कई बार पत्र के माध्यम से मांगी गई सूचित किया जाता है उक्त सूचना की जांच के बाद मंत्रालय निम्नलिखित निष्कर्ष निकलता है जल ग्रहण क्षेत्र उपचार योजना तैयार करने का संबंध में चरण (I) की शर्त संख्या (xii) का पूर्ण अनुपालन इस मंत्रालय का पत्र दिनांक 22/01/2021 के बिंदु संख्या (III) के तहत वांछित रूप से प्रस्तुत नहीं किया गया है	स्टेज I के शर्त क्रमांक (XII) के अनुपालन में छत्तीसगढ़ विज्ञान एवं प्रौद्योगिक परिषद के द्वारा जल ग्रहण क्षेत्र उपचार योजना गेवरा प्रोजेक्ट के लिए तैयार की गई है। (I) वन मण्डलाधिकारी के पत्र क्रमांक 234 दिनांक 15/07/2020 को गेवरा प्रोजेक्ट द्वारा जल ग्रहण क्षेत्र उपचार की योजना जमा की गई। (II) वन मण्डलाधिकारी के पत्र क्रमांक 282 दिनांक 02/09/2020 को गेवरा प्रोजेक्ट द्वारा जल ग्रहण क्षेत्र उपचार की योजना में होने वाले खर्च का आकलन भेजा गया। (III) वन मण्डलाधिकारी के पत्र क्रमांक 5242 दिनांक 28/10/2020 महाप्रबंधक गेवरा प्रोजेक्ट से परियोजना प्रतिवेदन में त्रुटियों का निराकरण करने के लिये दिया गया। (IV) वन मण्डलाधिकारी को पत्र क्रमांक 375 दिनांक 31/10/2020 महाप्रबंधक गेवरा प्रोजेक्ट में त्रुटियों का निराकरण कर भेज दिया, (V) वन मण्डलाधिकारी कटघोरा ने मुख्य वन संरक्षक बिलासपुर वृत्त को पत्र क्रमांक 2509 दिनांक 25/11/2020 द्वारा एसईसीएल (ओ.सी.

	पी.) के संबन्ध में छत्तीसगढ़ विज्ञान एवं प्रौद्योगिक परिषद द्वारा (I) व्यापक जल ग्रहण क्षेत्र उपचार योजना के नियंत्रण अनुशंसा (प्रस्तावित संरचना) पर अनुमान प्रस्तुत किया। (VI) मुख्य वन संरक्षक बिलासपुर वृत्त ने पत्र क्रमांक 128 दिनांक 15/01/2021 द्वारा अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू-प्रबंध) रायपुर को जल ग्रहण क्षेत्र उपचार के कियान्वयन एवं अनुमोदन हेतु संप्रेषित किया, डिमांड नोट प्राप्त होने के बाद गेवरा क्षेत्र द्वारा तुरंत भुगतान कर दिया जायेगा। (VII) अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षण (भू-प्रबंध) रायपुर ने पत्र क्रमांक 2569 दिनांक 13/10/2021 के द्वारा वन मण्डलाधिकारी कटघोरा को डिमांड नोट जारी करने हेतु निर्देशित किया था। (VIII) Catchment Area Treatment Plan हेतु वन मण्डलाधिकारी कटघोरा ने पत्र क्रमांक 6065 दिनांक 28/10/2021 को महाप्रबंधक गेवरा क्षेत्र को 8447900/- का डिमांड नोट दिया गया था। उक्त राशि का भुगतान ई चालान जनरेट कर कैम्पा फंड में दिनांक 08/11/2021 को जमा कर दी गई है, UTR NO- (UCBAH21312039819) भविष्य में किसी प्रकार की अन्तर राशि देने हेतु गेवरा क्षेत्र वचन पत्र संलग्न कर दी गई है।
ii.	Examination of compliance of condition no. (xiii) revealed slow progress. Preparation and finalization of the said Plan may be expedited by the State for its timely implementation pursuant to approval of the Central Government whenever granted. It can also not be ascertained from the reply of the State whether proposed Plan is being prepared based on the outcome of impact of management intervention undertaken by the user agency for the protection, conservation and protection of wildlife in the area. The same needs to be clarified by the State. जल ग्रहण क्षेत्र उपचार योजना की प्रतिलिपि प्रस्तुत किया जाना था अनुपालन के साथ प्राप्त हुआ है शर्त संख्या (III) के अनुपालन की अंतिम जांच में धीमी प्रगति का पता चला है, उक्त योजना को तैयार करने में एवं अंतिम रूप देने के लिए केन्द्र सरकार कि मंजूरी के समय पर कार्यावयन के लिए भी राज्य द्वारा तेजी से कार्य किया जा सकता है यह भी राज्य के उत्तर से पता नहीं लगाया जा सकता है कि वन्य क्षेत्र में वन्य जीवों के संरक्षण एवं संरक्षण के लिए उपयोगकर्ता से एजेंसी द्वारा प्रबंधन द्वारा किये गये प्रबंधन हस्तक्षेप के प्रभाव के पत्र क्रमांक 208 दिनांक 27/08/2019 महाप्रबंधक ने वन मण्डलाधिकारी कटघोरा को गेवरा ओ.सी.पी. के कोर क्षेत्र के प्रस्तावित वन जीव जंतुओं के लिए वैकल्पिक आवास विकास योजना सहित वन्य जीव संरक्षण योजना पर अंतिम पत्र प्रस्तुत किया। अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वन्य जीवन) छत्तीसगढ़ नया रायपुर के पत्र क्रमांक 2519 दिनांक 03/07/2020 के वन मण्डलाधिकारी कटघोरा के विभिन्न वन भूमि डायवर्सन प्रकरणों में अधिरोपित शर्तों के पालन में किये गये पक्षी संवर्धन परियोजना के परीक्षण हेतु जानकारी मांगी। जिसके जवाब में वन मण्डलाधिकारी कटघोरा ने पत्र क्रमांक 6649 दिनांक 24/12/2020 को विभिन्न वन भूमि डायवर्सन प्रकरणों में अधिरोपित शर्तों के पालन में किये गये पक्षी संवर्धन परियोजना के परीक्षण हेतु उप वनमण्डलाधिकारी पाली वन मण्डल कटघोरा को पत्र लिखा। तत पश्चात उप वनमण्डलाधिकारी पाली वन मण्डल कटघोरा पत्र क्रमांक 88 दिनांक 22/01/2021 को चाही गई जानकारी परीक्षण कर बिन्दु वार जानकारी वनमण्डलाधिकारी कटघोरा को प्रेषित किया। प्रेषित पत्र अनुसार उप वनमण्डलाधिकारी कटघोरा ने पत्र क्रमांक 504 दिनांक 25/02/2021 को चार बिन्दुओं की जानकारी मुख्य वन संरक्षक (वन्य प्राणी) एवं क्षेत्र संचालक, अचानकमार टाईगर रिजर्व बिलासपुर, छत्तीसगढ़ को प्रेषित किया, डिमांड नोट प्राप्त होने के बाद गेवरा क्षेत्र द्वारा तुरंत भुगतान

SEEPAT ROAD
P.O.: SECL
BILASPUR



साउथईस्टर्नकोल्डफिल्डलिमिटेड
South Eastern Coalfields Limited
(कोलइण्डियाकाएकअंश/A subsidiary of Coal India Ltd.)
CIN U10102CT1985GOI003161
Website : www.secl-cil.in



STD : 07815 275430(O)
: 7815 275032(R)
Fax : 07815 275434
email : gevracnv@gmail.com

पो0आ0:गेवराप्रोजेक्ट
जिला: कोरबा(छत्तीसगढ़)
पिन:495452

OFFICE OF THE GENERAL MANAGER
GEVRA AREA

P.O. : GEVRA PROJECT
Distt: Korba (C.G.)
Pin: 495452

	परिणाम के आधार पर प्रस्तावित योजना तैयार की जा रही है, इसे राज्य द्वारा स्पष्ट करने की आवश्यकता है।	कर दिया जायेगा। (अनुसंलग्न 2)
iii.	Complete details, as desired under point no. (v) of Ministry's letter dated 22.01.2021, in respect of degraded forest land proposed for afforestation in lieu of safety zone has not been submitted. The same needs to be submitted by the State. मंत्रालय के पत्र दिनांक 22/01/2021 बिंदु संख्या के (4) के तहत वांछित पूर्ण विवरण सुरक्षा क्षेत्र के स्थान पर पर्यावरण हेतु प्रस्तावित बिगड़े हुये वन भूमि के संबंध में प्रस्तुत नहीं किया गया है वही राज्य द्वारा स्पष्ट करने की आवश्यकता है	वन परिक्षेत्र अधिकारी पाली ने गेवरा ओपन कास्ट परियोजना रकबा 112.385 हे० के बदले सेप्टीजोन के 1.5 गुणा रकबा 11.250 हे० में 10 वर्षीय वृक्षारोपण वर्ष 2021-22 से 2030-31 तक प्रस्तावित प्रतिवेदन छत्तीसगढ़ शासन वन विभाग कटघोरा वन मण्डल कटघोरा, को प्रस्तुत किया। (अनुसंलग्न 3)
iv.	Compliance contained in letter dated 16.08.2021 of the State Government, appears to has been submitted in response to Ministry's letter dated 22.01.2021 as information sought vide Ministry's letter dated 14.05.2021 has not been commented upon by the State. It was observed that supporting documents received along with physical copy of State Government's letter dated 16.08.2021 contains a report of the user agency on the reclamation status indicating an area of 1226.560 ha reclaimed technically and 489.80 ha reclaimed biologically. Said report of the user agency does not seem to be taken into cognizance neither by the authorities of Forest Department nor by the State Government. It is therefore, desired updated detail of reclamation mentioned by the user agency in the supporting documents may be confirmed by the State. राज्य सरकार के पत्र दिनांक 16/08/2021 में	पत्र क्रमांक/एसईसीएल/म.प्र./गे.क्षे./पर्यावरण/2021/75 दिनांक 08/06/2021 गेवरा प्रोजेक्ट के द्वारा बायोलाजिकल रिक्लेमेशन मैप एवं जी.पी.एस लोकेशन के साथ फोटो ग्राफ वन मण्डलाधिकारी कटघोरा, वनमण्डल में जमा किया जा चुका है। (अनुसंलग्न 4)

निहित अनुपालन मंत्रालय के पत्र दिनांक 23/01/2021 के जवाब में प्रस्तुत किया गया प्रतीत होता है क्योंकि मंत्रालय के पत्र दिनांक 14/05/2021 द्वारा मांगी गई जानकारी पर राज्य द्वारा टिप्पणी नहीं की गई है। यह देखा गया था कि राज्य सरकार के पत्र दिनांक 16/08/2021 के भौतिक प्रति के साथ प्राप्त सहायक दस्तावेजों में उपयोगकर्ता एजेंसी की रिपोर्ट शामिल है जिसमें तकनीकी रूप में पुनः प्राप्त 1226.56 हे० क्षेत्र और 489.80 हे० जैविक रूप से दावा किया गया जा कि रिपोर्ट में दर्शाया गया है उपयोगकर्ता को न तो वन विभाग और न ही राज्य सरकार द्वारा संज्ञान में लिया गया है इसलिये यह वांछित है, कि उपयोगकर्ता एजेंसी द्वारा सहायक दस्तावेजों में उल्लेखित सुधार के अद्यतन विवरण की पुष्टि राज्य द्वारा की जा सकती है।	
--	--

महाप्रबंधक
एस.ई.सी.एल. गेवरा क्षेत्र
10/11/21

SHEPAT ROAD

P.O. SEC-1
BILASPUR

साउथईस्टर्नकोलफील्ड्सलिमिटेड
South Eastern Coalfields Limited
(कोलइण्डियाकाएकअंग/A subsidiary of Coal India Ltd.)

CIN U10102CT1985GOI003161

Website : www.secl-cil.in

कार्यालय: महाप्रबंधक, गेवरा क्षेत्र

OFFICE OF THE GENERAL MANAGER
GEVRA AREA

STD : 07815 27501 (R)

7815 27501 (R)

Fax : 07815 27501

Email : gevraomv@gmail.com

पैठार/गेवराप्रोजेक्ट

जिला: कोरबा (छत्तीसगढ़)

पिन: 495452

P.O. : GEVRA PROJECT

Dist. : Korba (C.G.)

Pin: 495452

क्रमांक/एस.ई.सी.एल.मप्र/गे क्षेत्र पर्यावरण/2020/234

दिनांक 15/07/2020

To

The DFO

Raighora Division

Raighora Korba

SUB. Submission of Final Report on Catchment Area Treatment Plan prepared by Chhattisgarh Council of Science & Technology, Raipur in respect of Gevra OCP.

REF. MoEF&CC Stage I Clearance L.No. 8-41/2017-FC dated 27.09.2017

Dear Madam

Please find enclosed herewith the Final Report on Catchment Area Treatment Plan prepared by Chhattisgarh Council of Science & Technology, Raipur in respect of Gevra OCP.

This is in compliance to condition no. XII of MoEF&CC Stage I Clearance L.No. 8-41/2017-FC dated 27.09.2017 which states "With a view to enrich the water regime in the area a comprehensive Catchment area Treatment Plan in the area to arrest flow of silt in the Haxda River and to improve water regime should be implemented at the project cost."

This is for your kind information

Thanking You,

(Signature)
15/7/20
General Manager
SECL Gevra Area

Copy to: 1. Additional Principal Chief Conservator of Forest (Land Management), Nagpur
2. Chief Conservator of Forest, Bilaspur Division, Bilaspur CG



चार मां प्रकृत मध्ये

5

SEEPAT ROAD

P.O.: SECL
BILASPUR



साउथईस्टर्नकोलफिल्ड्सलिमिटेड
South Eastern Coalfields Limited
(कोलइण्डियाकाएकअंश/A subsidiary of Coal India Ltd.)
CIN U10102CT1985GOI003161
Website : www.secl-cil.in

कार्यालय: महाप्रबंधक, गेवरा क्षेत्र

OFFICE OF THE GENERAL MANAGER
GEVRA AREA

STD : 07815 275430(O)

: 7815 275032(R)

Fax : 07815 275434

email : gevraenvt@gmail.com

पोडा: गेवराप्रोजेक्ट
जिला: कोरबा (छत्तीसगढ़)
पिन: 495452

P.O. : GEVRA PROJECT

Dist.: Korba (C.G.)

Pin: 495452

क्रमांक/एस.ई.सी.एल/मप्र/गे.क्ष./ पर्यावरण/2020 / 282

दिनांक 02/09/2020

To

The DFO

Katghora Division

Katghora Korba

SUB. Submission of Estimate on Erosion Control Recommendations (Proposed Structure) of Comprehensive Catchment Area Treatment Plan study by Chhattisgarh Council of Science & Technology in respect of SECL Gevra OCP.

Dear Madam

Please find enclosed herewith the Estimate on Erosion Control Recommendations (Proposed Structure) of Comprehensive Catchment Area Treatment Plan study by Chhattisgarh Council of Science & Technology. The final report on Comprehensive Catchment Area Treatment Plan was previously submitted vide letter no. क्रमांक/एस.ई.सी.एल/मप्र/गे.क्ष./पर्यावरण/2020/234 दिनांक 15/07/2020

This is in compliance to the Condition no. xii of 112.385 ha. Stage I/ In principle approval vide no. L.No. 8-41/2017-FC dated 27.09.2017 in respect of SECL Gevra OCP, which states "With a view to enrich the water regime in the area, a comprehensive Catchment area Treatment Plan in the area to arrest flow of silt in the Hasdeo River and to improve water regime should be implemented at the project cost."

Thanking You

Yours Sincerely

General Manager

48 SECL Gevra Area
25

Copy to: 1. Additional Principal Chief Conservator of Forest (Land Management), Naya Raipur, CG
2. Chief Conservator of Forest, Bilaspur Division, Bilaspur CG



SOUTH EASTERN COALFIELDS LIMITED

(A MINI RATNA COMPANY)

BILASPUR (CHHATTISGARH)

GEVRA OC PROJECT



PROJECT REPORT

ON

Erosion Control Recommendations (Proposed Structure) of Comprehensive
Catchment Area Treatment Plan study by Chhattisgarh Council of Science &
Technology

महा प्रबंधक (संचालन)
General Manager (O)
एस.ई.सी.एल., गेवरा क्षेत्र
SECL, Gevra Area.

नोडल ऑफिसर (पर्यावरण/सुरक्षा)
Nodal Officer (ENV/FO)
SECL/Gevra Area
एस.ई.सी.एल./गेवरा क्षेत्र
1.9.20
SOBEC

INTRODUCTION

Gevra Opencast Project is an operating Opencast Mine of South Eastern Coalfields Limited, located in the South-Central part of Korba Coalfield in Korba District of Chhattisgarh. The project has obtained Environment Clearance of 45 MTPA vide no. NoJ-11015/85/2010-IA.II (M) Dt. 04.06.2020 for a period of 30 years or life of the mine, whichever is earlier within the mine lease area of 4184.486 ha.

Forest land involved is 1016.412 ha. Out of which 904.027 Ha. of Forest land has obtained stage II clearance & is under possession of Gevra OCP & 112.385 ha. of Revenue Forest land has obtained Stage I/In-Principle approval & is in the process of obtaining Stage II Clearance.

The Condition no. xii of 112.385 ha. Stage I/ In principle approval vide no. L.No. 8-41/2017-FC dated 27.09.2017 states "With a view to enrich the water regime in the area, a comprehensive Catchment area Treatment Plan in the area to arrest flow of silt in the Hasdeo River and to improve water regime should be implemented at the project cost." (Copy Enclosed as annex 1)

& similarly

The Condition no. iv of 45 MTY Environment Clearance vide NoJ-11015/85/2010-IA.II (M) Dt. 04.06.2020 states "Final recommendation/outcome of the study on Ecosystem carrying capacity by IIT-BHU and Catchment area treatment plan study within 5 KM from Mine Lease Boundary by CCOST shall be implemented in certain timeframe. PP shall submit action plan with timeline to Ministry's Regional Office for implementation of recommendation" (Copy Enclosed as annex 2)

In compliance to the above conditions, work order on study on Comprehensive Catchment Area Treatment Plan within 5 KM from Mine Lease Boundary was awarded to Chhattisgarh Council of Science & Technology (CCOST) vide no.259 dated 23.03.18 (Copy Enclosed as annex 3). accordingly Final Study report was submitted by CCOST on 17.03.2020. (Study has been carried for the project area of 4781.798 ha. (considering future expansion of 70 MTPA). & within 5KM from this Mine Lease Boundary).

4/9/20
Chief Mining Officer
A H Q GEVRA AREA

T. 9. 20
SOE(c)

RECOMMENDATIONS IN THE STUDY REPORT

The recommendations in the Catchment area treatment plan study for erosion control measures (Proposed Structures) for Gevra OCP is as below

Erosion Control Measures (Proposed Structures)	Number of Structures
Check Dams	7
Nala Bunds/ Boulder Checks	11
Vegetative Bunds	13

Similar type of study i.e. "study on Catchment Area Treatment Plan" in respect of Kusmunda OCP was done. The study was conducted by Chhattisgarh Council of Science & Technology (CCOST), Raipur. On comparing both the reports it was observed that there was overlapping of 1 check dam, 3 Nala Bunds/ Boulders Checks & 1 vegetative bund.

Subsequently due to the overlapping of the above mentioned structures, a joint inspection/ meeting of both the areas was held. After the inspection & discussions it was decided that the implementation of erosion control measures (Proposed Structures) for Gevra OCP will be as below

Erosion Control Measures (Proposed Structures)	Number of Structures
Check Dams	6
Nala Bunds/ Boulder Checks	9
Vegetative Bunds	12

And implementation of 1 check dam, 2 Nala Bunds/ Boulders Checks & 1 vegetative bund (overlapped structures in both reports) will be taken up by Kusmunda OCP.

The Erosion Control Measures (Proposed Structure) within Mine lease area (4781.798 Ha.) will be implemented by SECL Gevra OCP & for implementation of the Erosion Control Measures (Proposed Structure) outside Mine lease area will undertaken through State Forest Department by depositing fund in CAMPA.

(Details given in subsequent pages)

[Signature]
15/12/20
CHIEF ENGINEER
AND GEVRA AREA

[Signature]
1.9.20

DETAILS WITH LOCATION OF PROPOSED STRUCTURES

WITHIN MINELEASE AREA			
S.No.	Latitude	Longitude	Structure Code
1	22°18'51.79" N	82°33'40.58" E	VB
2	22°18'47.66" N	82°33'25.05" E	VB
3	22°20'36.09" N	82°37'36.99" E	VB
4	22°20'28.60" N	82°37'32.82" E	VB
5	22°20'48.24" N	82°36'46.76" E	VB
6	22°20'40.76" N	82°36'41.51" E	VB
7	22°20'33.28" N	82°36'43.07" E	VB
8	22°21'55.58" N	82°35'06.91" E	VB
9	22°19'11.16" N	82°33'24.28" E	NB/BC
10	22°19'03.19" N	82°33'41.77" E	NB/BC
11	22°20'52.84" N	82°37'00.89" E	NB/BC
12	22°20'51.87" N	82°36'53.23" E	NB/BC
13	22°18'53.07" N	82°38'08.24" E	CD

*Note. CD, Check Dam, NB/BC, Nalla Bunds/Boulder checks, VB, Vegetative Bunding

Within Minelease				
Structure	Number	m/each	Rs./m	Cost Rs.
Check Dam	1	20	63113.85	1262277
Nalla Bund/Boulder Check	4	15	3137.09	188225.4
Vegetative Bund	8	20	1877.97	300475.2
				Rs.1750977.60

*Detailed estimate in subsequent pages

The above work within Mine Lease will be implemented by SECL Gevra OCP

1/9/20
मुख्य कार्यकारी अधिकारी
श्री. नरेश कुमार शर्मा
CHIEF
OFFICE

1.9.20

DETAILS WITH LOCATION OF PROPOSED STRUCTURES

OUTSIDE MINELEASE AREA			
S.No.	Latitude	Longitude	Structure Code
1	22°17'11.39" N	82°33'34.70" E	CD
2	22°18'15.21" N	82°33'09.12" E	CD
3	22°17'56.80" N	82°36'39.19" E	CD
4	22°17'43.13" N	82°36'19.15" E	CD
5	22°17'07.66" N	82°39'27.18" E	CD
6	22°18'20.74" N	82°33'30.22" E	VB
7	22°18'44.59" N	82°35'43.49" E	VB
8	22°18'55.36" N	82°36'05.52" E	VB
9	22°21'42.70" N	82°34'51.18" E	VB
10	22°18'29.18" N	82°33'50.32" E	NB/BC
11	22°18'38.84" N	82°34'54.85" E	NB/BC
12	22°18'35.66" N	82°36'07.42" E	NB/BC
13	22°18'16.32" N	82°35'53.47" E	NB/BC
14	22°21'22.38" N	82°38'53.48" E	NB/BC

*Note. CD, Check Dam, NB/BC, Nalla Bunds/Boulder checks, VB, Vegetative Bunding

Outside Minelease				
Structure	Number	m/each	Rs./m	Cost in Rs.
Check Dam	5	20	63113.85	6311385
Nalla Bund/Boulder check	5	15	3137.09	235281.75
Vegetative Bund	4	20	1877.97	150237.6
				Rs.6696904.35

*Detailed estimate in subsequent pages

The implementation of the above work outside Mine lease area will be undertaken through State Forest Department by depositing fund in CAMPA.

21/9/2020
 1.9.20
 EA

DETAILS WITH LOCATION OF PROPOSED STRUCTURES

S.No.	Latitude	Longitude	Structure Code
1	22°21'12.07" N	82°38'12.59" E	NB/BC
2	22°20'53.34" N	82°37'08.00" E	NB/BC
3	22°20'59.17" N	82°37'38.70" E	CD
4	22°20'50.04" N	82°37'37.22" E	VB

* The implementation of the above work outside Mine lease area will be done by SECL Kasmunda OCP

Dear Sir,

[Signature]
1.9.20

GENERAL ABSTRACT OF COST

(A) CHECK DAM:

Total No. 6 nos. @ 20.00 m/e (avg.) = 120.00 mtrs @ Rs. 63113.85/m
= 7573662.00

(B) NALLAH BUND/BOULDER CHECK:

Total No. 9 nos. @ 15.00 m/e (avg.) = 135.00 mtrs @ Rs. 3137.09/m
= 423507.15

(C) VEGETATIVE BUNDS:

Total No. 12 nos. @ 20.00 m/e (avg.) = 240.00 mtrs @ Rs. 1877.97/m
= 450712.80

Rs. = 8447881.95

11/9/2020
Chief Engineer
A.H.Q.

1.9.20
SOE (C)

Construction of Check dam Details for 20.00 length check dam					
S.No.	Description of Item	Qty.	R/U	Updated Amount	Remark
1	Earth work in excavation over areas.....etc	159.30 cum	206.41	32881.11	DSR '13. I/2.6.1
2	Providing and laying c.c.1:4:8.....etc	53.10 cum	4158.48	220815.28	I/4.1.8
3	Providing and laying c.c.1:3:6.....etc	69.9 cum	4714.52	329544.94	I/4.1.4
4	Providing and laying c.c.:1:2:4 in foundation & plinth	53.40 cum	4645.61	248075.57	I/4.1.3
5	Providing and laying c.c.:1:2:4 in walletc	41.67 cum	5481.95	228432.85	I/4.2.3
6	structural steel worketc,	900.00 kgs	85.70	77130.00	I/10.2
7	centering and shuttering worketc, in of .& raft	103.00 Sqm	240.13	24733.39	I/5.9.1
8	centering and shuttering wall. etc	182.10 sqm	503.29	91649.1	I/5.9.2
9	Filling available excavated earth.....etc	53.10 cum	169.77	9014.78	I/2.25
cost of 20.00 mtr =				Rs. 1262277.02	
cost of per mtr =				Rs. 63113.85	

11/5/20

1.9.20
SOP (C)

DETAIL CALCULATION

Item 1) Earth work in ex. Over areas..... etc.

Dam: $1 \times 20.00 \times 3.00 \times 1.50 = 90.00 \text{ cum}$

Toe wall: $1 \times 20.00 \times 0.90 \times 0.75 = 13.50 \text{ cum}$

Wing wall: $2 \times 15.00 \times 1.20 \times 1.55 = 55.80 \text{ cum}$

Total = 159.30 cum

Item 2) P. & L. C. C. 1:4:8..... etc.

Dam: $1 \times 20.00 \times 3.00 \times 0.15 = 9.00 \text{ cum}$

Toe wall: $1 \times 20.00 \times 0.90 \times 0.15 = 2.70 \text{ cum}$

Apron: $1 \times 2 \times 20.00 \times 6.00 \times 0.15 = 36.00 \text{ cum}$

Wing wall: $1 \times 2 \times 15.00 \times 1.20 \times 0.15 = 5.40 \text{ cum}$

Total = 53.10 cum

Item 3) P. & L. C. C. 1:3:6..... etc.

Wing wall: $1 \times 2 \times 15.00 \times (1.00 + 0.80)/2 \times 0.90 = 24.30 \text{ cum}$

Wing wall: $1 \times 2 \times 15.00 \times 0.70 \times 0.60 = 12.60 \text{ cum}$

Wing wall: $1 \times 2 \times 15.00 \times 0.60 \times 1.50 = 27.00 \text{ cum}$

Toe wall: $1 \times 20.00 \times (0.60 + 0.40)/2 \times 0.60 = 6.00 \text{ cum}$

Total = 69.90 cum

Item 4) P. & L. C. C. 1:2:4.....:n Foundation..... etc.

Apron: $1 \times 2 \times 20.00 \times 6.00 \times 0.10 = 24.00 \text{ cum}$

Main wall: $1 \times 20.00 \times 2.60 \times 0.30 = 15.60 \text{ cum}$

Main wall: $1 \times 20.00 \times 2.30 \times 0.30 = 13.80 \text{ cum}$

Total = 53.40 cum

Per
17/5/20
S.O.B.(-)

17/5/20
S.O.B.(-)

Item 5) P. & L. C. C. 1:2:4.....in wall

$$1 \times 20.00 \times 2.00 \times 0.15 = 6.00 \text{ cum}$$

$$1 \times 20.00 \times (2.00 + 0.90)/2 \times 1.50 = 43.50 \text{ cum}$$

$$\text{Less for Openings: } 6 \times 0.60 \times (2.00 + 0.90)/2 \times 1.50 (-) = 7.83 \text{ cum}$$

$$\text{Total} = 41.67 \text{ cum}$$

Item 6) Structural Steel work etc.

$$\text{For gate 06 Nos. @ } 150.00 \text{ kg/e} = 900.00 \text{ kgs}$$

Item 7) Centering and Shuttering work.....etc.

$$\text{For foundation: } 2 \times 20.00 \times (0.30 + 0.30) = 24.00 \text{ sqm}$$

$$2 \times 20.00 \times 0.25 = 10.00 \text{ sqm}$$

$$2 \times 15.00 \times 1.50 = 45.00 \text{ sqm}$$

$$2 \times 20.00 \times 0.60 = 24.00 \text{ sqm}$$

$$\text{Total} = 103.00 \text{ sqm}$$

Item 8) Centering and Shuttering work.....etc.

For wall:

$$\text{Main wall} \quad 2 \times 20.00 \times 0.15 = 6.00 \text{ sqm}$$

$$2 \times 20.00 \times 1.50 = 60.00 \text{ sqm}$$

$$\text{Wing wall} \quad 2 \times 2 \times 15.00 \times 1.50 = 90.00 \text{ sqm}$$

$$\text{For Opening Portion } 6 \times 2 \times (2.00 + 0.90) + 1.50 = 26.10 \text{ sqm}$$

$$\text{Total} = 182.10 \text{ sqm}$$

Item 9) Filling available excavated earth.....etc.

$$1/3 \text{ of Item (1)} = 159.30 \text{ cum}/3 = 53.10 \text{ cum}$$

Chief Engineer (C)
A.H.Q. CIVIL AREA

18

1-9-20
SOF (C)

Construction of nallah bund
Details for cost of 10.00 m length

s.no.	Description of item	Qty.	R/U	Updated Amount	Remark
1	Earth work in excavation in foundation & trenches.....etc, 10.00 x 0.90 x 0.60=5.40 cum	5.40 cum	194.10/cu m	1048.14	DSR 13 I/2.8.1
2	Supplying and stacking of good quality of stone boulder 15 to 22.50 cm size at work site all leads etc. 10.00 x 0.90 x 1.50 = 13.50 cum less for voids 15% (-) 2.02	11.48 cum	1153.71/cum	13244.59	Non DSR Rate analysis
3	laying of stone boulder in making nallah bund including packing, labour charges, cost of T & P., all lead & lift as per instruction of engineer -in-charge, same as item (2) i.e.11.48 cum	11.48 cum	446.03/cu m	5120.42	Non SOR Rate analysis
4	Providing and making fencing with bamboo (65 mm to 100 mm dia)vertical post @ 2.00 m c/c. and bracing (two nos diagonal in each span and six nos horizontal) including cost of material labour charges cost of tools & plants as per instruction of engineer- in- charge 10.00 M x 2 sides =20.00M	20.00 mtr	597.89/m	11957.80	Non SOR Rate analysis
cost of 10.00 mtr =				Rs. 31370.95	
cost of per mtr =				Rs. 3137.09	

 1/9/20
 1.9.20
 मुख्य प्रमुख (निर्देश)
 जिला मुख्यालय बिहार
 Chief Engineer
 A. H. G. U. S. P. N. E. A.

RATE ANALYSIS

Item: Supply & Staking stone boulder of size 15 to 22.50 cm at work site including cost of T & P labour charges as per instruction of engineer-in-charge.

UNIT: 12.00 cum

(A) Material: supply of boulder l/c carriage

12.00 cum @ Rs. 910.00/cum = 10920.00

(B) Labour: for stacking

02 nos. @ Rs. 499.80/e = 999.60

11919.60

Add water charges 1% = 119.19

12038.79

Add Contractor's profit 15% = 1805.81

Cost of 12.00 cum = 13844.60

Cost of per cum = 1153.71

RATE ANALYSIS

Item: Laying of stone boulder in making bund/Nallah bund including packing labour charges, cost of T & P etc. as per instruction of engineer-in-charge.

UNIT: 10.00 cum

Labour Required: (Labour wages 1/c 19 % CMPF & CMPS)

Mate 01 Nos. @ Rs. 585.48/e = 585.48

Mason IInd class 01 No. @ Rs. 705.67/e = 705.67

Bolder 05 Nos. @ Rs. 499.80/e = 2499.00

3790.15

Sundries L. S. = 50.00

3840.15

Add water charges 1% = 38.40

3878.55

Add Contractor's profit 15% = 581.78

Cost of 10.00 cum = 4460.33

Cost of per cum = 446.03

20

1/9/20
Chief Engineer
A H Q UPPAL AREA

1.9.20
SOF (C)

RATE ANALYSIS

Item: Providing and making fencing with bamboo (65 mm to 100 mm dia) vertical post @ 2.00 m c/c and bracing two Nos. diagonal and six Nos. horizontal including cost of bamboo, labour charges, and cost of T & P as per instruction of engineer-in-charge.

UNIT: 10.00 M

(A) Material: Bamboo (65 mm to 100 mm dia)

Vertical Post	6 × 1.50	=	9.00 m
Dia. Bracing	5 × 2 × 2.00	=	22.00 m
Hor. Bracing	6 × 10.00	=	60.00 m
Including carriage		=	91.00 m @ Rs. 36.00/m = 3276.00
Sundries + wire nails etc. L. S.		=	50.00

(B) Labour: Mate 0.50 @ Rs. 585.48/e	=	292.74
Carpenter 0.75 @ 705.67/e	=	529.25
Balder 2.00 @ 499.80/e	=	999.60
		<u>5147.59</u>
Add water charges 1%	=	51.47
		<u>5199.06</u>
Add Contractor's profit 15%	=	779.86
Cost of 10.00 mtr	=	<u>5978.92</u>
Cost of per mtr	=	597.89

1/9/20
मुख्य अभियंता (निर्माण)
राज्य सड़क निगम
अधीनस्थ प्रमुख (सी)
A.H.Q. LEVY AREA

1-9-20
SOP (C)

Construction of vegetative bunds Details of cost for 10.00 length					
s.no.	Description of item	Qty.	R/U	Updated Amount	Remark
1	Providing and placing empty cement bag filled with local available sandy soil including stitching of bag and placing in position cost of labour empty bag etc. as per instruction of engineer-in-charge	850 nos.	12.38/e	10523.00	Rate analysis
2	filling local available soil for vegetative bund including planting of near by available vegetation to protect erosion of soil cost of T. & P. labours charges as per instruction of engineer-in-charge	37.50 cum	220.18/cum	8256.75	Rate analysis
cost of 10.00 mtr =				Rs. 18779.75	
cost of per mtr =				Rs. 1877.97	


 S. S. Srinivas
 Engineer-in-charge
 Andhra Pradesh
 Andhra Pradesh


 1.9.20
 SDE

DETAIL CALCULATION

Item(1) Providing & placing empty cement bag filled with local available sandy soil...etc

For $10.00 \times 2.00 \times 1.50$ mtr

No. of bag = $17 \times 5 \times 10 = 850$ Nos.

Item(2) Filling local available soil for vegetative bund including planting of vegetation to protect erosion of soil cost of T & P and labour charges as per instruction of engineer-in-charge.

$1 \times 10.00 \times 3.00 \times (1.50 + 1.00)/2 = 37.50$ cum

RATE ANALYSIS

Item: Providing and placing empty cement bag filled with local available sandy soil including Stitching of bags & placing in position, cost of labour, empty bag etc. as per instruction of engineer-in-charge.

UNIT: 75 Bags

Cost of empty cement bag 75 Nos. @ Rs. 4.00/bag	= 300.00
Labour unskilled 01. No. @ Rs. 499.80/e	= 499.80
	<u>799.80</u>
Add water charges 1%	= 7.99
	<u>807.79</u>
Add Contractor's profit 15%	= 121.16
Cost of 75 Nos.	= 928.95
Cost of per Nos.	= 12.38

1/9/20
मु.प्र. विभाग (विभाग)
अधीन में कार्य करने वाले
चौक-मु.प्र. विभाग
अधीन में कार्य करने वाले

1.9.20
SOB (2)

RATE ANALYSIS

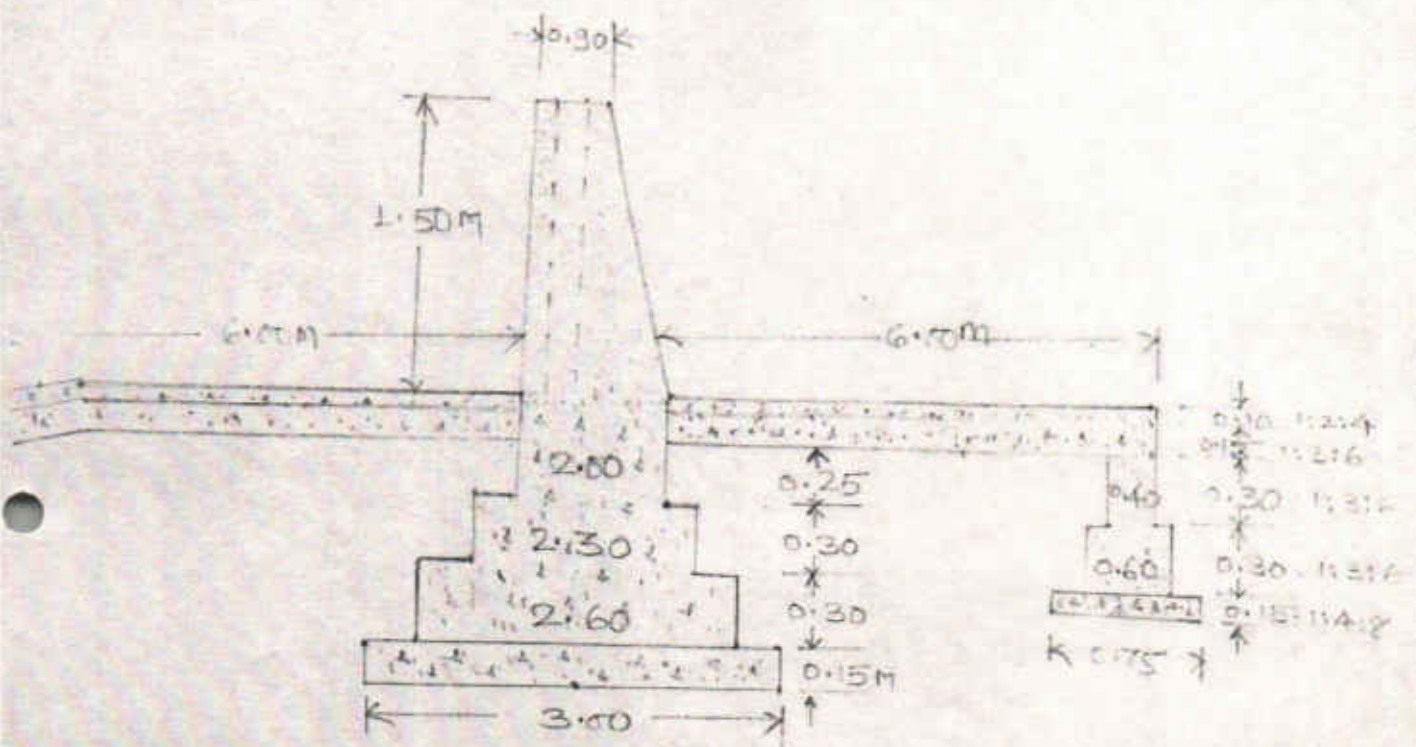
Item: Filling local available soil for vegetative bund including planting of nearby available vegetation to protect erosion of soil cost of T & P and labour charges as per instruction of engineer-in-charge.

UNIT: 10.00 cum

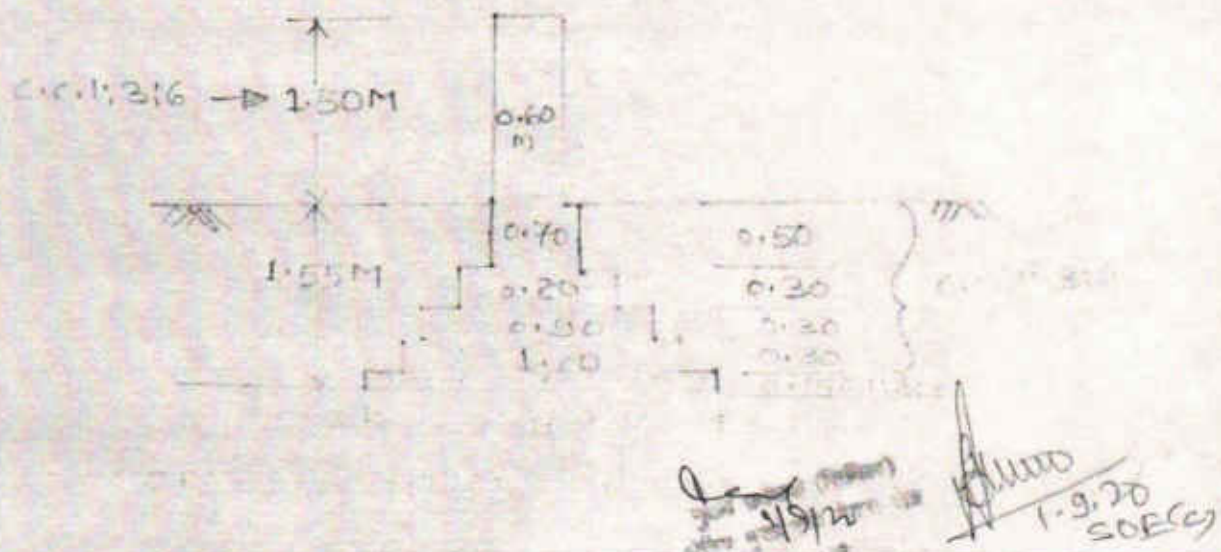
labour for filling of soil (unskilled) 2.50 nos. @ Rs. 499.80/e	= 1249.50
labour for planting of local available vegetation(unskilled) 1 no. @ Rs. 499.80/e	= 499.80
Mate 0.25 no. @ Rs. 585.48/e	= 146.37
	<u>1895.67</u>
Add water charges 1%	= 18.95
	<u>1914.62</u>
Add contractor's profit 15%	= 287.19
Cost of 10.00 cum	= 2201.81
Cost as of per cum	= 220.18

1/9/20
Chief Engineer
AHO GEORAKA

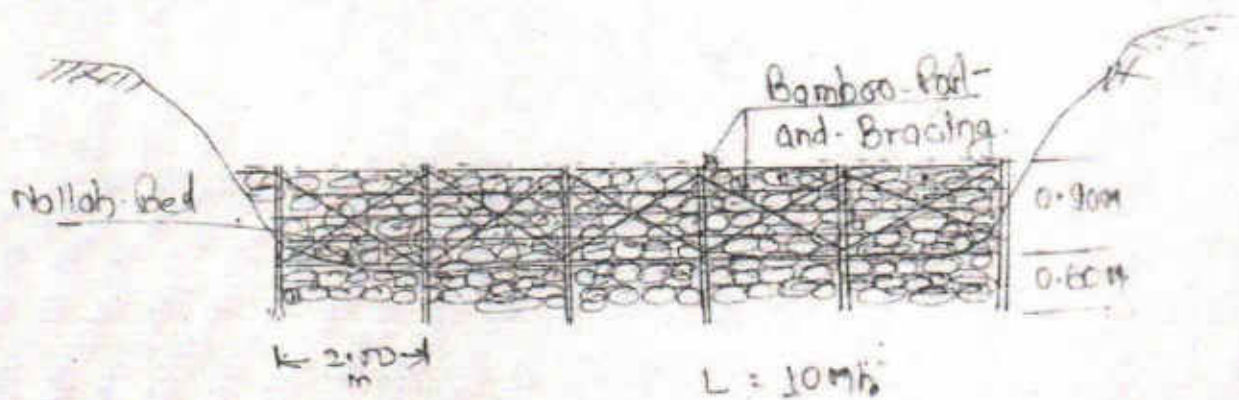
1-9-20
SDE



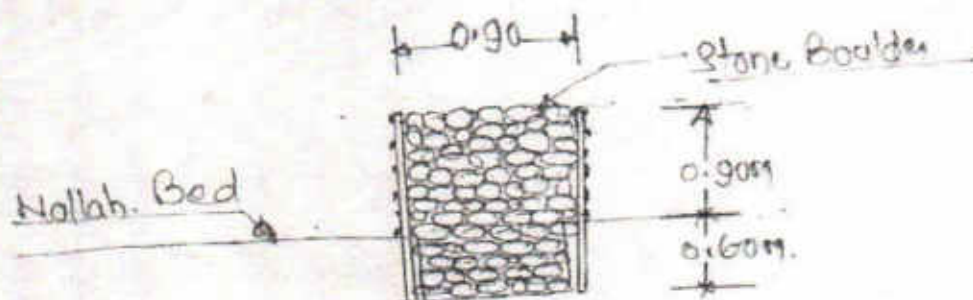
CROSS SECTION OF CHECK DAM



Detail drawing of Nallah Bund (With Boulder)



L-Section of Nallah Bund.



Cross Section of Nallah Bund.

Per
1/9/20

[Signature]
1-9-20
SOE (C)

F. No. 8-41/2017-FC
Government of India
Ministry of Environment, Forests & Climate Change
(Forest Conservation Division)

Indira Paryavaran Bhawan,
Jor Bagh Road, Aliganj,
New Delhi: 110003,
Dated: 27th September, 2017

To,
The Principal Secretary (Forests),
Government of Chhattisgarh,
Raipur.

Sub: Diversion of 112.385 ha of Revenue forest land for Gevra Open Cast Mine (OCM) in Katghora Forest range, District -Korba Chhattisgarh in favour of SECL, Chhattisgarh.

Sir,

I am directed to refer to the Government of Chhattisgarh's letter No. F-5-12/2017/10-2 dated 01.05.2017 on the subject mentioned above seeking prior approval of the Central Government under Section-2 of the Forest (Conservation) Act, 1980 and to say that the proposal has been examined by the Forest Advisory Committee constituted by the Central Government under Section-3 of the aforesaid Act.

After careful examination of the proposal of the State Government and on the basis of the recommendations of the Forest Advisory Committee, *In-principle approval /Stage-I Clearance* of the Central Government is hereby granted for diversion of 112.385 ha of Revenue forest land for Gevra Open Cast Mine (OCM) in Katghora Forest range, District -Korba Chhattisgarh in favour of SECL, Chhattisgarh subject to the following conditions:

- (i) Legal status of the diverted forest land shall remain unchanged;
- (ii) Compensatory Afforestation shall be done over degraded forest land twice in extent to the forest area proposed to be diverted within a period of three years with effect from the date of issue of Stage-II clearance and maintained thereafter in accordance with the approved Plan in consultation with the State Forest Department at the cost of the user agency. At least 1000 saplings per hectares shall be planted over 224.77 ha (224770 plants). If this is not possible to plant these many seedlings in the identified DFL, the balance seedlings will be planted in other suitable degraded forest land as per the prescriptions of the Working Plan at the cost of the User agency. In such case CA cost will be revised and duly approved by competent authority and deposited online in the CAF managed by CAMPA. 25% of the CA cost additionally will be spent towards Soil and Moisture Conservation activities in the proposed CA area as per site requirement and deposited in CAF.
- (iii) On examination of Compensatory afforestation land on Google Satellite Imagery and DSS tools, it is found that 30 ha area is having dense vegetation and 53 ha land seems to be under encroachment. State Government shall exclude the land under encroachment and under very dense vegetation from the proposed CA area and additional degraded forest land which is free from encumbrances/encroachment and degraded shall be selected prior to stage II approval. The land shall be analysed through DSS at state level prior to submission to MoEF&CC for consideration. State Government shall submit DSS analysis report along with the compliance of this condition.
- (iv) State Government shall reconfirm the enumeration list of trees prior to stage II approval.


27.9.17

- (v) The User Agency shall ensure that construction of residential accommodation for workers will be undertaken separately on non-forest land to avoid pressure on forest land for temporary construction.
- (vi) Safety zone shall be fenced with coiled barbed wire fencing of 6 feet high for the protection of forests;
- (vii) Safety zone along the lease boundary, shall be implemented by the User Agency in accordance with the guidelines issued by the MoEF&CC in this regard;
- (viii) Encroachment from the lease area of the User Agency should be evicted and in case eligible claimants are found in the area proposed for diversion, they should be rehabilitated as per the R&R policy of the State Government of Chhattisgarh in consonance with the National R&R policy.
- (ix) The user agency should undertake comprehensive greening in the villages located in the surrounding of their lease area.
- (x) Mined out forest area already reclaimed by the User Agency, should be handed over back to the State Forest Department with a view to bring it under the ambit of core forestry management.
- (xi) The UA should prepare a land surrender schedule for surrender of the mined out and biologically reclaimed forest land in accordance with the existing mine plan irrespective of progressive mine closure plan and submit an surrender schedule and an undertaking that mined out and biologically reclaimed forest land will be surrendered to the State Forest Department as per this schedule. No further change in the schedule for surrendering of forest land should be allowed.
- (xii) With a view to enrich the water regime in the area, a comprehensive Catchment Area Treatment Plan in the area to arrest flow of silt in the Hasdeo River and to improve water regime should be implemented at the project cost;
- (xiii) A study should be undertaken at the project cost to assess the impact of intervention undertaken by the SECL, in consultation with the State Forest Department, for the protection, conservation and development of wildlife in the area. Based on the outcome of such study, the measures for protection, conservation and development of the wildlife, if needed may further be strengthened at the project cost.
- (xiv) No forest land should be used for undertaking the diversion of district road, bifurcating the Revenue forest land proposed to divert by the User Agency. While undertaking diversion of the said road, the User Agency should select such alignment ensuring that accessibility/connectivity is maintained at the ease of the local residents.
- (xv) It is reported that the user agency had biologically reclaimed 404.8 ha of land. A subcommittee of FAC under the chairmanship of Sh. Deepak Sinha IG(FC), Sh. R.K. Dey APPCF regional office Bhuvneshwar and Sh. Sandeep Sharma AIG(FC) shall visit the site and submit report on the status of biologically reclaimed area to MoEF and CC.
- (xvi) The land identified for the purpose of CA shall be clearly depicted on a Survey of India topo-sheet of 1:50,000 scale;
- (xvii) The User Agency shall transfer the cost of raising and maintaining the compensatory afforestation at the current wage rate in consultation with State Forest Department in the account of Ad-hoc CAMPAs of the concerned State through online portal. The scheme may include appropriate provision for anticipated cost increase for works scheduled for subsequent years.
- (xviii) The User Agency shall transfer the funds for the Net Present Value (NPV) of the forest land being diverted under this proposal from the User Agency as per the orders of the Hon'ble Supreme Court of India dated 28.03.2008, 24.04.2008 and 09.05.2008 in Writ Petition (Civil) No. 202/1995 and the guidelines issued by this Ministry vide its letter No. 5-3/2007-FC dated 05.02.2009 through online portal of Ad-hoc CAMPAs account of the State Concerned;
- (xix) At the time of payment of the Net Present Value (NPV) at the present rate, the user agency shall furnish an undertaking to pay the additional amount of NPV, if so determined, as per the final decision of the Hon'ble Supreme Court of India;


 27.9.17 (28)

- (xx) Any fund received from the user agency under the project, except the funds realized for regeneration/ demarcation of safety zone, shall be transferred to Ad-hoc CAMPA through online portal of Ad-hoc CAMPA account of the State Concerned;
- (xxi) Following activities shall be undertaken by the user agency at the project cost and appropriate cost of the plan/scheme shall be deposited in Ad-hoc CAMPA Account:
- (a) A plan containing appropriate mitigative measures to minimize soil erosion and choking of streams shall be prepared and implemented;
 - (b) Planting of adequate drought hardy plant species and sowing of seeds in the appropriate area within the mining lease to arrest soil erosion;
 - (c) Construction of check dams, retention /toe walls to arrest sliding down of the excavated material along the contour;
 - (d) Stabilize the overburden dumps by appropriate grading/benching so as to ensure that that angles of repose at any given place is less than 28°; and
 - (e) Strict adherence to the prescribed top soil management.
- (xxii) User agency shall obtain the Environment Clearance as per the provisions of the Environmental (Protection) Act, 1986;
- (xxiii) User agency in consultation with the State Forest Department shall create and maintain alternate habitat/ home for the avifauna, whose nesting trees are to be cleared in this project. Bird nests artificially made out of eco-friendly materials shall be used in the area, including forest area and human settlements, adjoining the forest area being diverted for the project;
- (xxiv) Fencing, protection and regeneration of the safety zone area [7.5 meters strip shall be kept within the mining lease boundary and area of the safety zone shall be part of the total area of mining lease as per the Ministry's guidelines dated 27.05.2015] shall be done at the project cost within three years and maintained thereafter as per approved working plan of the State Govt. Besides this afforestation on degraded forest land to be selected elsewhere measuring one & a half times the area under safety zone shall also be done at the project cost;
- (xxv) User agency either himself or through the State Forest Department shall undertake afforestation on degraded forest land, one and half time in extent to the area used for safety zone;
- (xxvi) Period of diversion of the said forest land under this approval shall be for a period co-terminus with the period of the mining lease proposed to be granted under the Mines and Minerals (Development and Regulation) Act, 1957, and the Rules framed there-under as amended;
- (xxvii) User agency either himself or through the State Forest Department shall undertake gap planting and soil & moisture conservation activities to restock and rejuvenate the degraded open forests (having crown density less than 0.4), if any, located in the area within 100 meters from outer perimeter of the mining lease;
- (xxviii) The User Agency shall prepare a list of existing village tanks and other water bodies with GPS co-ordinates located within five km. from the mine lease boundary. This list is to be duly verified by the concerned Divisional Forest Officer. The User Agency shall regularly undertake desilting of these village tanks and other water bodies so as to mitigate the impact of siltation of such tanks/water bodies. A detailed plan for desilting of identified ponds and water bodies to be prepared in consultation with forest department and shall be submitted to MoEF & CC before Stage-II approval;
- (xxix) User agency shall undertake mining in a phased manner and take due care for reclamation of the mined over area. The concurrent reclamation plan shall be executed by the User Agency as per the approved mining plan/scheme and an annual report on implementation thereof shall be submitted to the Nodal Officer, Forest (Conservation) Act, 1980, Government of Odisha and the Addl. Principal Chief Conservator of Forests (Central), Ministry of Environment & Forests, Regional Office (Eastern Zone), Bhubaneswar. If it is found from the annual report that the activities indicated in the concurrent reclamation

[Signature]

1.27.9.17

(29)

plan are not being executed by the user agency, the Nodal Officer or the Addl. Principal Chief Conservator of Forests (Central) may direct that the mining activities shall remain suspended till such time, such reclamation activities are satisfactorily executed;

- (xxx) No labour camp shall be established on the forest land;
- (xxxi) User agency shall provide firewood preferably alternate fuel to the labourers and the staff working at the site so as to avoid any damage and pressure on the adjacent forest areas;
- (xxxii) Boundary of the mining lease and safety zone shall be demarcated on ground at the project cost, by erecting four feet high reinforced cement concrete pillars, each inscribed with its serial number, forward and back bearing, distance from pillar to pillar and GPS co-ordinates;
- (xxxiii) Forest land shall not be used for any purpose other than that specified in the proposal;
- (xxxiv) State Government shall complete settlement of rights, in term of the Scheduled Tribes and Traditional Forest Dwellers (Recognition of Forest Rights) Act, 2006, if any, on the forest land to be diverted and submit the documentary evidence as prescribed by this Ministry vide their letter No. 11-9/1998-FC (pt.) dated 3rd August 2009 read with 05.07.2013, in support thereof;
- (xxxv) The user agency shall submit the annual self compliance report in respect of the above conditions to the State Government, concerned Regional Office and this Ministry by the end of March every year regularly.
- (xxxvi) Any other condition that the Regional Office (Western Zone), Bhopal of this Ministry, may stipulate, from time to time, in the interest of conservation, protection and development of forests & wildlife; and
- (xxxvii) The State Government and user agency shall comply the provisions of the all Acts, Rules, Regulations, Guidelines, Hon'ble Court Order (s) and NGT Order (s) pertaining to this project, if any, for the time being in force, as applicable to the project.

After receipt of compliance report on fulfilment of the conditions mentioned above, the proposal shall be considered for final approval under Section-2 of the Forest (Conservation) Act, 1980. Transfer of forest land shall not be affected till final approval is granted by the Central Government in this regard.

Yours faithfully,



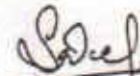
(Sandeep Sharma)

Assistant Inspector General of Forests (FC)

27.9.17

Copy to:-

1. The Principal Chief Conservator of Forests, Government of Chhattisgarh, Raipur.
2. The Addl. PCCF (Central), Regional Office, Nagpur
3. The Nodal Officer, the Forest (Conservation) Act, 1980, of Chhattisgarh, Raipur.
4. User Agency.
5. Forest Conservation Monitoring Cell, FC Division, MoEF&CC, New Delhi.
6. Guard File.



(Sandeep Sharma)

Assistant Inspector General of Forests (FC)

27.9.17



No. J-11015/85/2010-IA.II(M)
Government of India
Ministry of Environment, Forest and Climate Change
Impact Assessment Division

Indira Paryavaran Bhavan,
Jor Bagh Road, New Delhi-110 003

Dated: 4th ^{JUNE} April, 2020

To,

Chairman and Managing Director,
M/s South Eastern Coalfields Ltd,
W B P & Environment Department,
Seepat Road, P B. No.60
Bilaspur - 495 006 (Chhattisgarh) Email: gmenvtsecl@gmail.com:

Sub: Expansion/Continuation of Gevra Opencast Coal Mine from 41 MTPA to 45 MTPA in ML area of 4184.486 ha of M/s South Eastern Coalfields Limited at district Korba (Chhattisgarh) – Continuation of Environmental Clearance -reg.

Sir,

This has reference to your online proposal No. IA/CG/CMIN/19281/2013 dated 3rd May, 2019 on the above-mentioned subject.

2. The Ministry of Environment, Forest and Climate Change has considered the proposal for extension/continuation of environmental clearance dated 28th March, 2019 to the Expansion of Gevra Opencast Coal Mine from 41 MTPA to 45 MTPA in ML area of 4184.486 ha of M/s South Eastern Coalfields Limited at district Korba (Chhattisgarh), for a period of one year and subject to compliance of certain terms and conditions, which *inter-alia* included the following and other conditions:-

"Subject to the review of the compliance status of the conditions by the EAC to consider continuance of the project after one year".

3. In line with the above condition, Project Proponent submitted the compliance of all the specific conditions. Site inspection was carried out by Regional Office, Nagpur on 25th December, 2019 to monitor the status of compliance of conditions stipulated in the environmental clearance dated 28th March, 2019 and certified compliance report was submitted vide its letter dated 14th January, 2020. Action Taken Report over Certified Compliance Report submitted to RO, MoEF&CC (Nagpur) on 21st January, 2020. Action Taken Report over Certified Compliance Report forwarded by RO to MoEF&CC, New Delhi vide letter No:3-28/2014(ENV)P/6174 Dtd: 4th February, 2020

4. The proposal was considered by the sectoral Expert Appraisal Committee (EAC) in its meeting held on 20th February, 2020 and recommended for continuance of the project and validity of environmental clearance dated 28th March, 2019 for a period of 30 years or life of the mine, whichever is earlier subject to the terms and conditions stipulated therein remaining the same and with additional conditions. Further regarding proposal of expansion from 45 MTPA to 49 MTPA, EAC observed that the decision on further expansion upto 49

Continuance of EC- Gevra OCP of M/s South Eastern Coalfields Limited

Page 1 of 4

dmiln

MTPA may be taken later based on the final outcome of the proposed studies and other compliance etc. Also, PP needs to focus more on the compliance of partially compliant EC conditions. Based on the recommendation of the EAC, the Ministry of Environment, Forest and Climate Change hereby accords approval for the **continuance of the Environment Clearance(EC) for expansion of Gevra Opencast Coal Mine from 41 to 45 MTPA in ML area of 4184.486 ha of M/s South Eastern Coalfields Limited at district Korba (Chhattisgarh)**, for a period of 30 years or life of the mine, whichever is earlier, under the provisions of the Environment Impact Assessment Notification, 2006 and subsequent amendments/circulars thereto subject to the compliance of additional as under:-

- (i) EAC desired that the MoC may direct CIL subsidiaries to comply the EC/FC/CTO conditions strictly within certain time bound manner so that the mining operations will be environmentally sustainable/viable etc.
- (ii) Also, EAC asked project proponent to plant 50,000 nos. of native trees (excluding other conditions of plantation given by this Ministry) with broad leaves along the villages and transportation route to prevent the effect of air pollution in three years. After completion of tree plantation, number of trees shall be duly endorsed from District Forest Office.
- (iii) All Partially and non-complied conditions (if any) reported by Ministry's Regional Office in its certified compliance report dated 14th January, 2020 shall be completed in 2 years from the date of issue of this letter.
- (iv) Final recommendation/outcome of the study on ecosystem carrying capacity by IIT-BHU and the study on catchment area treatment plan within 5 KM from mine lease boundary by CCOST shall be implemented in certain timeframe. PP shall submit action plan with timelines to the Ministry's Regional Office for implementation of the recommendations.
- (v) Fixed water sprinklers shall be installed on haul roads for suppression of dust.
- (vi) The activities and fund provisions for CER shall be made as per the guidelines issued by the Ministry regarding CER on 1st May, 2018
- (vii) Active OB dump should not be kept barren/open and should be covered by temporary grass to avoid air born of particles.
- (viii) The Project Proponent shall comply with all the statutory requirements and judgment of Hon'ble Supreme Court dated the 2nd August 2017 in Writ Petition (Civil) No. 114

of 2014 in the matter of Common Cause versus Union of India and Ors. State Government shall ensure that the entire compensation levied, if any, for illegal mining paid by the Project Proponent through their respective Department in strict compliance of judgment of Hon'ble Supreme Court dated the 2nd August 2017 in Writ Petition (Civil) No. 114 of 2014 in the matter of Common Cause versus Union of India and Ors.

- (ix) Project Proponent shall obtain the necessary prior permission from the Central Ground Water Authority (CGWA) in case of intersecting the Ground water table. The intersecting ground water table can only be commencing after conducting detailed hydrogeological study and necessary permission from the CGWA. The Report on six monthly bases on changes in Ground water level and quality shall be submitted to the Regional Office of the Ministry, CGWA and State Pollution Control Board.
- (x) Proponent shall appoint an Occupational Health Specialist for Regular and Periodical medical examination of the workers engaged in the Project and maintain records accordingly; also, Occupational health check-ups for workers having some ailments like BP, diabetes, habitual smoking, etc. shall be undertaken once in six months and necessary remedial/preventive measures taken accordingly. The Recommendations of National Institute for ensuring good occupational environment for mine workers shall be implemented; The prevention measure for burns, malaria and provision of antisnake venom including all other paramedical safeguards may be ensured before initiating the mining activities.
- (xi) Project Proponent shall follow the mitigation measures provided in Office Memorandum No. Z-11013/57/2014-IA.II (M), dated 29th October, 2014, titled "Impact of mining activities on Habitations-Issues related to the mining Projects wherein Habitations and villages are the part of mine lease areas or Habitations and villages are surrounded by the mine lease area".
- (xii) The illumination and sound at night at project sites disturb the villages in respect of both human and animal population. Consequent sleeping disorders and stress may affect the health in the villages located close to mining operations. Habitations have a right for darkness and minimal noise levels at night. PP's must ensure that the biological clock of the villages is not disturbed; by orienting the floodlights/ masks away from the villagers and keeping the noise levels well within the prescribed limits for day light/night hours.
- (xiii) The project proponent shall take all precautionary measures during mining operation for conservation and protection of endangered fauna, if any, spotted in the study area.

Action plan for conservation of flora and fauna shall be prepared and implemented in consultation with the State Forest and Wildlife Department. A copy of action plan shall be submitted to the Ministry of Environment, Forest and Climate Change and its Regional Office.

- (xiv) Hon'ble Supreme Court in an Writ Petition(s) Civil No. 114/2014, Common Cause vs Union of India & Ors vide its judgement dated 8th January, 2020 has directed the Union of India to impose a condition in the mining lease and a similar condition in the environmental clearance and the mining plan to the effect that the mining lease holders shall, after ceasing mining operations, undertake re-grassing the mining area and any other area which may have been disturbed due to their mining activities and restore the land to a condition which is fit for growth of fodder, flora, fauna etc. Compliance of this condition after the mining activity is over at the cost of the mining lease holders/Project Proponent". The implementation report of the above said condition shall be sent to Regional Office of the Ministry. Further, the outcomes of various court cases pending in various courts shall also be applicable/enforceable along with the conditions of this EC.

5. All other terms and conditions stipulated in the Environment Clearance (EC) dated 21st February, 2018 and 28th March 2019 shall also be applicable.

Manoj Kumar Gangeya
4.6.20
(Manoj Kumar Gangeya)
Director

Copy to:

1. The Secretary, Ministry of Coal, Shastri Bhawan, New Delhi
2. The APCCF, Ministry of Environment Forest and Climate Change, Regional Office (Western Central Zone), Ground Floor, East Wing, New Secretariat Building Civil Lines, Nagpur (Maharashtra)
3. The Secretary, Department of Environment & Forests, Government of Chhattisgarh, Secretariat, Raipur
4. The Member-Secretary, Central Ground Water Authority, Ministry of Water Resources, Curzon Road Barracks, A-2, W-3 Kasturba Gandhi Marg, New Delhi
5. The Member Secretary, Central Pollution Control Board, CBD-cum-Office Complex, East Arjun Nagar, New Delhi - 32
6. The Member Secretary, Chhattisgarh State Environment Conservation Board, 1-Tilak Nagar, Shiv Mandir Chowk, Main Road, Avanti Vihar, Raipur - 492001 (Chhattisgarh)
7. The District Collector, Korba, Government of Chhattisgarh.
8. Monitoring File 9. Guard File 10. Record File 11. Notice Board

Manoj Kumar Gangeya
(Manoj Kumar Gangeya)
Director

SEEPAT ROAD
P.O.: SECL
BILASPUR



साउथईस्टर्नकोलफील्ड्सलिमिटेड
South Eastern Coalfields Limited
((कोलइंडियाकाएकअंग/ A subsidiary of Coal India Ltd.))



STD : 07815 275430(O)
: 07815 275032(R)
Fax : 07815 275434
email noenvgevra@gmail.com

CIN U10102CT1985GO1003161

Website : www.secl.gov.in

कार्यालय: महाप्रबंधक, गेवरा क्षेत्र

OFFICE OF THE GENERAL MANAGER
GEVRA AREA

पोडाओ: गेवरा प्रोजेक्ट
जिला: कोरबा (छत्तीसगढ़)
पिन: 495452

P.O.: GEVRA PROJECT
Distt.: Korba (C.G.)
Pin: 495452

क्रमांक/एस.ई.सी.एल/मप्र/गे.क्ष./ पर्यावरण/2018/ 259

दिनांक 23/03/18

WORK ORDER

TO

The Director General
Chhattisgarh Council Of Science & Technology
Govt. Of Chhattisgarh, Raipur

SUB: Award of Work for Preparation of Comprehensive Catchment Area Treatment in respect of Gevra Open Cast Project SECL (CG).

REF: Your Letter no. 2950/CCOST/2017 DT: 12.12.2017

Dear Sir

With reference to the above this is to communicate to you the approval of competent authority to award the subject work to Chhattisgarh Council Of Science & Technology (CCOST), Raipur amounting to Rs. 1200861/- (Twelve lakhs and eight hundred and sixty one only) inclusive of all taxes on the terms & conditions as indicated below with the following scope of work.

SCOPE OF WORK

1. The problem of silt and debris load to river from the susceptible areas of the catchment.
2. Checking the sediment load from the tributaries directly discharging into the river.
3. Protecting the directly draining catchment from scouring / sloughing.
4. Mitigative measures for the erosion and other hazards resulting from the project activities.

WORK ELEMENTS

1. Estimation of soil erosion
 - a. Study of drainage pattern of the catchment area

Handwritten signature
23/3/18

Scanned by CamScanner

- b. Delineation of watersheds and sub-watersheds of free draining catchment.
- c. Assessment of slope of the catchment area
- d. Land use and land cover mapping using remote sensing and GIS
- e. Study of soil parameters under directly draining area
- f. Study of soil details, silt yield and its delivery potential

2. Prioritization of Sub-watersheds

- a. Preparation of a framework of sub-watersheds
- b. Generation of a map indicating erosion-intensity
- c. Assignment of weightage values to various mapping units
- d. Assignment of maximum delivery ratios to various erosion intensity mapping units and assessment of adjusted delivery ratios for different sub-watersheds.
- e. Computing Silt-Yield Index for individual sub-watersheds
- f. Grading of sub-watersheds for prioritization

3. Identification of area for Comprehensive Area Treatment.

4. Preparation of Schedule of Implementation

TERMS & CONDITIONS

1. Total value of the work is Rs. 1200861/- (Twelve lakhs and eight hundred and sixty one only) inclusive of all taxes.
2. 50% amount will be released as an advance payment. The advance amount will be released on receipt of pre receipted bill from your end. Balance 50% will be released after submission of study report.
3. The Date of commencement of work shall be reckoned from date of acceptance of work order.
4. The copy of work order duly accepted on its body be sent back as a token of acceptance of the same.
5. The period of completion of work will be 120 days.
6. The report shall be submitted in 6 copies and soft copy to General Manager Gevra Area.
7. The proposal has been financially concurred vide FC/GVR/C/FL/17-18/27 DT: 17.03.2018 and BC/GVR/C/FL/17-18/62 and paying authority will be Area Finance Manager, Gevra SECL.

You are requested to contact Assistant Manager (ENVT.) 9425282479, Gevra Area to start the work and its early completion.

Yours Faithfully

[Signature]
23/5/18
Nodal Officer (Envl./ Forest)
SECL Gevra Area



कार्यालय वन मण्डलाधिकारी कटघोरा वनमण्डल कटघोरा, जिला – कोरबा (छ.
ग.)

चेवदमध्दंग छवणरू 07815.250157ए उंपस रू कविांजहीवतं/हउंपसण्ववउ

क्रमांक/तक.अधि./2020/5242

कटघोरा,दिनांक 28.10.2021

प्रति,

महाप्रबंधक,
एस.ई.सी.एल. गेवरा क्षेत्र
जिला कोरबा (छ.ग.)

विषय : Submission of Estimate on control recommendations (Proposed structure) of comprehensive Catchment Area Treatment Plan study by Chhattisgarh Council of Science & Technology in respect of SECL Gevra OCP.

संदर्भ : आपका पत्र क्र./एस.ई.सी.एल./म.प्र./गे.क्षे./पर्यावरण/2020/282 दि. 02.09.2020
— ::000:: —

उपरोक्त संदर्भित विषयांतर्गत लेख है कि एस.ई.सी.एल. गेवरा क्षेत्र द्वारा गेवरा ओपन कास्ट परियोजना 112.385 हे. हेतु कैचमेंट एरिया ट्रीटमेंट प्लान प्रस्तुत किया है। प्रस्तुत परियोजना प्रतिवेदन में निम्न त्रुटियां पाई गई जिसका निराकरण कर पुनः प्रस्तुत करें :-

1. परियोजना प्रतिवेदन में स्ट्रक्चर लोकेशन मैप संलग्न नहीं है। जिससे स्ट्रक्चर के क्रम का पता नहीं चलता है।
2. परियोजना में किसी भी स्ट्रक्चर को प्रस्तावित करने का तर्क /उपयोगिता के विषय में लेख नहीं है।
3. प्रस्तावित नाला बंड एवं वेजिटेशन बंड के सभी स्ट्रक्चर की साईज एक ही मानकार राशि की गणना की गई है जिससे स्पष्ट है कि परियोजना क्षेत्र निरीक्षण कर नहीं बनाया गया है।
4. किसी भी साईट का फोटोग्राफ संलग्न नहीं है।
5. क्षेत्र के अनुरूप प्रस्तावित स्ट्रक्चर की संख्या कम प्रतीत होती है।
6. परियोजना के हार्ड कॉपी के साथ लववहसम मंतजी में तैयार ड्राइंग फाईल प्रस्तुत करें ताकि सभी स्ट्रक्चर को भलिभांती अवलोकन किया जा सके।
7. परियोजना में क्षेत्र के सामान्य विवरण का अभाव है (जैसे :- मिट्टी का प्रकार, वन की स्थिति, वन्यप्राणियों की स्थिति, पूर्व में निर्मित स्ट्रक्चर की जानकारी आदि)

उपरोक्त कमियों को पूर्ण परियोजना प्रतिवेदन प्रस्तुत करें।

संलग्न: कैचमेंट एरिया ट्रीटमेंट प्लान की मूल कॉपी 04 प्रतियों।

कटघोरा

वनमंडलाधिकारी
कटघोरा वनमण्डल

SEEPAT ROAD

P.O.: SECL
BILASPUR



साउथईस्टर्नकोलफिल्ड्सलिमिटे
South Eastern Coalfields Limited
(कोलइण्डियाकाएकअंश/A subsidiary of Coal India Ltd.)
CIN U10102CT1985GOI003161
Website : www.secl-cil.in



STD : 07815 275430(O)

: 7815 275032(R)

Fax : 07815 275434

email : gevracnv@gmail.com

पो0आ0-गेवराप्रोजेक्ट
जिला: कोरबा(छत्तीसगढ़)
पिन: 495452

OFFICE OF THE GENERAL MANAGER
GEVRA AREA

P.O. : GEVRA PROJECT
Distt.: Korba (C.G.)
Pin: 495452

क्रमांक/एस.ई.सी.एल/मप्र/गे.क्षे./ पर्यावरण/2020/ 375

दिनांक 31/10/2020

प्रति,

वनमण्डलाधिकारी
कटघोरा वनमण्डल
जिला- कोरबा(छ0ग0)

विषय: Submission of Estimate on control recommendations (Proposed structure) of comprehensive Catchment Area Treatment Plan study by Chhattisgarh Council of Science & Technology in respect of SECL Gevra OCP.

संदर्भ: क्रमांक/तक.अधि./ 2020/ 5242 कटघोरा, दिनांक 28.10.2020

उपरोक्त संदर्भित विषयांतर्गत आपके द्वारा चिन्हांकित त्रुटियों का निराकरण क्रमवार प्रस्तुत है:-

1. परियोजना प्रतिवेदन में स्ट्रक्चर लोकेशन मैप पत्र क्रमांक 234, दिनांक 15.07.2020 के द्वारा CAT Plan के साथ संलग्न किया गया है। (Soft Copy sent Via mail dt. 17.10.2020)
2. परियोजना में स्ट्रक्चर को प्रस्तावित करने का तर्क/उपयोगिता के विषय में पत्र क्रमांक 234, दिनांक 15.07.2020 के द्वारा CAT Plan के साथ उल्लेखित किया गया है।
3. परियोजना स्थल के संयुक्त निरीक्षण के उपरांत यह पाया गया कि विभिन्न चिन्हांकित स्थलों पर स्थापित नाला बंड व वेजिटेशन बंड की लम्बाई अधिकतम 20 मीटर है। अतः अतिरिक्त सुरक्षा एवं मृदा संरक्षण हेतु उपरोक्त प्रस्तावित स्थल पर नाला बंड व वेजिटेशन बंड की लम्बाई 20 मीटर रखी गई है।
4. साईट का फोटोग्राफ via E-mail संलग्न किया जा रहा है।
5. क्षेत्र के अनुरूप प्रस्तावित स्ट्रक्चर की संख्या संयुक्त निरीक्षण के द्वारा तय किया गया कि कुसमुण्डा क्षेत्र व गेवरा क्षेत्र को पृथक-पृथक बनाना है। प्रतिवेदन में कारण संलग्न है।

6. परियोजना के हार्ड कॉपी के साथ Google Earth में तैयार KML फाईल प्रस्तुत किया जा रहा है।

(Soft Copy sent Via mail dt. 17.10.2020)

7. प्रस्तावित गेवरा परियोजना के 05 कि.मी. के परिधि के अन्तर्गत की गई कैचमेंट एरिया ट्रीटमेंट प्लान में वन्य प्राणी की स्थिति व वन क्षेत्र का प्रकार विवरण नहीं दर्शाया गया है। वन्य प्राणी एवं वन क्षेत्र की स्थिति के अवलोकन हेतु वाईल्ड लाईफ कन्जरवेशन प्लान, DFO Katghora को पत्र क्रमांक 189, दिनांक 13.08.2019 को 03 प्रति तथा पत्र क्रमांक 208, दिनांक 27.08.2019 को 02 प्रति संलग्न किया गया था।


31/10/2020
महाप्रबंधक
एस.ई.सी.एल. गेवरा क्षेत्र



कार्यालय वन मण्डलाधिकारी कटघोरा वनमण्डल कटघोरा, जिला - कोरबा (छ.ग.)

Phone/Fax No.: 07815-250157, mail : dfokatghora@gmail.com

क्रमांक/तक.अधि./2020/2509
प्रति,

कटघोरा, दिनांक 25.11.2020

मुख्य वन संरक्षक
बिलासपुर वृत्त,
बिलासपुर (छ.ग.)

विषय : Submission of Estimate on control recommendations (Proposed structure) of comprehensive Catchment Area Treatment Plan study by Chhattisgarh Council of Science & Technology in respect of SECL Gevra OCP.

संदर्भ : महाप्रबंधक गेवरा क्षेत्र जिला कोरबा का पत्र क्र एस.ई.सी.एल./म.प्र./गे.क्षे./पर्यावरण 2020 /375 दि. 31.10.2020

— :000: —

उपरोक्त संदर्भित विषयांतर्गत लेख है कि एस.ई.सी.एल. गेवरा क्षेत्र द्वारा गेवरा ओपन कास्ट परियोजना 112.385 हे. हेतु कैचमेंट एरिया ट्रीटमेंट प्लान प्रस्तुत किया है जिसे परीक्षण उपरांत आपकी ओर आवश्यक कार्यवाही हेतु सादर संप्रेषित है।

संलग्न: कैचमेंट एरिया ट्रीटमेंट प्लान 04 प्रतियाँ।

वनमंडलाधिकारी
कटघोरा वनमण्डल कटघोरा
कटघोरा, दिनांक 25.11.2020

क्रमांक/तक.अधि./2020/2510

प्रतिलिपि:

1. अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (मू-प्रबंध) अरण्य भवन, सेक्टर -19, अटल नगर रायपुर की ओर सूचनार्थ संप्रेषित।
2. महाप्रबंधक एस.ई.सी.एल. गेवरा क्षेत्र जिला कोरबा की ओर सूचनार्थ प्रेषित।

वन मण्डलाधिकारी
कटघोरा वनमण्डल कटघोरा

all



कार्यालय मुख्य वनसंरक्षक बिलासपुर वृत्त, बिलासपुर (छ.ग.)

सिंधी कॉलोनी, जरहामाठा, बिलासपुर (छ.ग.) पिन कोड-495001
फोन : 07752-227624, फैक्स : 07752-221385 E-mail : ccf.bilaspur-cg@gov.in

क्रमांक/तक./ 128

बिलासपुर, दिनांक 15-01-2021

प्रति,

✓ अपर प्रधान मुख्य वनसंरक्षक
(मू-प्रबंध)

अरण्य भवन, अटल नगर, नवा रायपुर

विषय:- Diversion of 112.385 ha. of Revenue Forest land for Gevra Open Cast Mine (OCM) in Katghora forest range, District - Korba Chhattisgarh in favour of SECL, Chhattisgarh

संदर्भ:- वनमण्डलाधिकारी कटघोरा का पत्र क्र./तक.अधि./2509, दिनांक 25.12.2020

—00—

विषयांतर्गत लेख है कि प्रकरण में प्रथम घरण स्वीकृति क्र./8-41/2017-FC दिनांक 27.09.2017 के अधिरोपित शर्त क्र. 12 के अनुसार कैचमेन्ट, ट्रीटमेन्ट एरिया प्लान आवेदक एस.ई.सी.एल. के द्वारा वनमण्डलाधिकारी कटघोरा के माध्यम से प्रेषित किया गया है, जिसे वनमण्डलाधिकारी कटघोरा के द्वारा परीक्षण उपरांत प्रेषित किया गया है। अतः प्रकरण में कैचमेन्ट ट्रीटमेन्ट प्लान के क्रियान्वयन हेतु कैचमेन्ट ट्रीटमेन्ट प्लान अनुमोदन एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु संप्रेषित है।

संलग्न:- उपरोक्तानुसार।

मुख्य वनसंरक्षक

बिलासपुर वृत्त, बिलासपुर

पू. क्रमांक/तक./ 129

बिलासपुर, दिनांक 15-01-2021

प्रतिलिपि :-

1. वनमण्डलाधिकारी, कटघोरा वनमण्डल की ओर सूचनार्थ।
2. महाप्रबंधक, एस.ई.सी.एल. गेवरा की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।



मुख्य वनसंरक्षक

बिलासपुर वृत्त, बिलासपुर



कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं वन बल प्रमुख, छत्तीसगढ़

अध्यक्ष, वन, रोक्टर-19, नार्थ ब्लॉक, कैपिटल कॉम्प्लेक्स, अटल नगर, गंगा रायपुर - 492002

(अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक भू-प्रबंध)

ई - मेल: apccf-lm.cg@gov.in

दूरभाष 0771 - 2512840

क्र./भू-प्रबंध/खनिज/331-215/2569

रायपुर, दिनांक 13/10/2021

प्रति,

वन मंडलाधिकारी
कटघोरा वन मंडल कटघोरा
छत्तीसगढ़

विषय - Proposal seeking prior approval of Central Government under Forest (Conservation) Act, 1980 for non-forestry use of 112.385 ha. of Revenue Forest Land Gevra Open Cast Mine (OCM) in Katghora Forest Range, District-Korba Chhattisgarh in favour of SECL (Chhattisgarh) - reg.
पंजीयन क्रमांक/ SAR/ SAR/SSR/ MJM/ 2005 / 016
संदर्भ - मुख्य वन संरक्षक, बिलासपुर मूल, बिलासपुर का पत्र क्रमांक/ तक / 128 दिनांक 15.01.2021
x x x x x

विषयगतगत सदमित पत्र का अवलोकन करें जिसके द्वारा प्रकरण में प्रथम चरण स्वीकृति में अधिरोपित शर्त क्रमांक -12 के अनुसार कैचमेंट - ट्रीटमेंट एरिया प्लान के क्रियान्वयन हेतु कैचमेंट - ट्रीटमेंट एरिया प्लान अनुमोदन हेतु इस कार्यालय को प्राप्त हुआ है।

भारत सरकार पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली के पत्र दिनांक 27.09.2021 द्वारा प्रकरण में जारी प्रथम चरण की स्वीकृति में अधिरोपित शर्त क्रमांक xii के अनुक्रम में छत्तीसगढ़ विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परिषद रायपुर के पत्र क्रमांक 223/ CCICOST/2020 दिनांक 02.06.2020 द्वारा तैयार किये गये कैचमेंट एरिया ट्रीटमेंट प्लान का अनुमोदन किया जाता है।

तदनुसार कैचमेंट एरिया ट्रीटमेंट प्लान अनुसार क्रियान्वयन हेतु कैम्पा खाता में राशि जमा करने हेतु आवेदक संस्थान को हिमाड नोट जारी करें एवं इस कार्यालय के अनुमोदन उपरांत कैम्पा खाता में जमा करावें।

अप्रमुख स (भू-प्रबंध / व स अ)
छत्तीसगढ़

रायपुर, दिनांक 13/10/2021

क्र./भू-प्रबंध/खनिज/331-215/2569

प्रतिनिधि सूचना एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु

1. मुख्य वन संरक्षक, बिलासपुर मूल बिलासपुर।
2. महाप्रबंधक एस ई सी एल मैवरा हो 4, जिला कोरबा, छत्तीसगढ़।

अप्रमुख स (भू-प्रबंध / व स अ)
छत्तीसगढ़

कार्यालय वन मण्डलाधिकारी कटघोरा वनमण्डल कटघोरा, जिला - कोरबा (छ.ग.)
Phone/Fax No.: 07815-250157, mail : dfokatghora@gmail.com

क्रमांक/तक.अधि./2021/6065
प्रति,

कटघोरा, दिनांक 28.10.2021

महाप्रबंधक,

एस.ई.सी.एल. गेवरा क्षेत्र

जिला कोरबा (छ.ग.)

विषय :

Submission of Estimate on Erosion Control Recommendations (Proposed Structure)
of Comprehensive Catchment Area Treatment Plan study by Chhattisgarh Council of
Science & Technology in respect of SECL Gevra OCP.

— ::000:: —

उपरोक्त संदर्भित विषयांतर्गत लेख है कि गेवरा ओपन कास्ट परियोजना रकबा 112.385 हे.
हेतु भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा राज्य शासन, वन एवं
जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा प्रथम चरण स्वीकृति के शर्त क्रमांक (xii) कैचमेंट एरिया ट्रीटमेंट प्लान
Chhattisgarh Council of Science & Technology द्वारा तैयार किया गया है जिसमें संरचनाये बहुत कम है।

कैचमेंट एरिया ट्रीटमेंट प्लान हेतु राशि रु. 8447881.95/- or = रु. 8447900/- (चौरासी लाख
सैतालिस हजार नौ सौ रुपये मात्र) का ई-चालान जनरेट कर कैम्पा फंड में जमा करते हुये पावती इस
कार्यालय में प्रस्तुत करें।

आपके द्वारा प्रेषित कैचमेंट एरिया ट्रीटमेंट प्लान में पूरे कैचमेंट को लेते हुए प्लान तैयार नहीं
किया गया है। अतः बड़े कैचमेंट की वजह से अधिक संरचनाए प्रस्तावित करें एवं इस आशय का वचन पत्र
कि 01 माह के भीतर पूरे कैचमेंट को कवर करते हुए कैचमेंट एरिया ट्रीटमेंट प्लान प्रस्तुत करें तथा अंतर की
राशि जमा करने का वचन पत्र इस कार्यालय में प्रस्तुत करें।

क्रमांक/तक.अधि./2021/6066
प्रतिलिपि :

वनमण्डलाधिकारी
कटघोरा वनमण्डल कटघोरा
कटघोरा, दिनांक 28.10.2021

1. अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू-प्रबंध) अरण्य भवन, सेक्टर -19, अटल
नगर, रायपुर की ओर सूचनार्थ संप्रेषित।
2. मुख्य वन संरक्षक बिलासपुर वृत्त बिलासपुर की ओर सूचनार्थ संप्रेषित।

वनमण्डलाधिकारी
कटघोरा वनमण्डल कटघोरा

SEEPAT ROAD
P.O.: SECL
BILASPUR



साउथईस्टर्नकोल्डफिल्डलिमिटेड
South Eastern Coalfields Limited
(कोलइण्डियाकाएकअंश/A subsidiary of Coal India Ltd.)
CIN U10102CT1985GOI003161



STD :07815 275430(O)
: 7815 275032(R)
Fax :07815 275434
email :gevraenvt@gmail.com

Website : www.secl-cil.in

कार्यालय: महाप्रबंधक, गेवरा क्षेत्र

OFFICE OF THE GENERAL MANAGER
GEVRA AREA

पो0आ0: गेवरा प्रोजेक्ट
जिला: कोरबा (छत्तीसगढ़)
पिन: 495452

P.O. : GEVRA PROJECT
Distt.: Korba (C.G.)
Pin: 495452

क्रमांक/एस.ई.सी.एल/मप्र/गे.क्षे./पर्यावरण/2021 / 252

दिनांक 10/11/2021

वचन पत्र

गेवरा खुली खदान 112.385 हे0 वन भूमि परिवर्तन के लिये Catchment Area Treatment Plan हेतु वनमण्डलाधिकारी कटघोरा के पत्र क्रमांक/तक.अधि./2021/6065 कटघोरा दिनांक 20.10.2021 के द्वारा रु. 8447900/- (चौरासी लाख सैतालिस हजार नौ सौ रुपये मात्र) का डिमांड नोट दिया गया था। उक्त राशि का भुगतान ई चालान जनरेट कर कैम्पा फंड में दिनांक 08/11/2021 को जमा कर दी गई है, **UTR No.- UCBAH21312039819** भविष्य में किसी प्रकार की अन्तर की राशि देने हेतु साउथ ईस्टर्न कोल फील्ड्स लिमिटेड गेवरा क्षेत्र, वचन बद्ध है।


10/11/21

एस.के.मोहन्ती
महाप्रबंधक
एस.ई.सी.एल. गेवरा क्षेत्र

SEEPAT ROAD

P.O. : SECL
BILASPUR

साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड
South Eastern Coalfields Limited
(कोल इंडिया लिमिटेड का उपसहायक/ A subsidiary of Coal Ind.)
CIN U10102CT1985GOI003161
Website : www.secl.gov.in



STD : 07815 275430(O)
: 7815 275032(R)
Fax : 07815 275434
email : gevraenvt@gmail.com

कार्यालय: महाप्रबंधक, गेवरा क्षेत्र

OFFICE OF THE GENERAL MANAGER
GEVRA AREA

P.O. : GEVRA PROJECT
Distt.: Korba (C.G.)
Pin: 495452

पोस्टाधिकार क्षेत्र: गेवरा प्रोजेक्ट
जिला: कोरबा (छत्तीसगढ़)
पिन: 495452

क्रमांक/एस.ई.सी.एल/मप्र/गे.क्ष./पर्यावरण/2019/208

दिनांक 27/08/2019

To
The DFO
Katghora Division
Korba.

SUB: - Submission of Final Report on Wild Life Conservation Plan including Alternate habitat development plan for affected avifauna of core area of Gevra OCP.

Dear Sir

Please find enclosed herewith the additional two copies of Final Report (3 copies previously submitted on 19.08.19) on Wild Life Conservation Plan including Alternate habitat development plan for affected Avifauna of core area of Gevra OCP by State Forest Research and Training Institute, Raipur CG.

This is in Compliance to condition no.(xiii) and (xxiii), stipulated in 112385 Ha. In-principle / Stage I Approval for SECL Gevra Open Cast Project.

Thanking you

Yours Sincerely

General Manager
SECL Gevra Area

Copy To

General Manager (Mining/Forest), SECL Bilaspur HO



Wild life cons plan file

कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वन्यप्राणी एवं जैव विविधता संरक्षण) सह मुख्य वन्यप्राणी अभिरक्षक, छत्तीसगढ़

सेक्टर-19, नार्थ ब्लॉक, अरण्य भवन, प्रथम तल (एफ.आर.) नवा रायपुर, अटल नगर (छ.ग.)
✉ cwlwgc@gmail.com, apccfwildlife@gmail.com (☎ 0771-2512880, 0771-2512881)

क्रमांक/व.जी./प्रबंध-488/2519
प्रति,

नवा रायपुर, दिनांक 03/04/2020

वनमंडलाधिकारी,
कटघोरा वनमंडल, कटघोरा
छ.ग.

विषय- विभिन्न वन भूमि डायवर्सन प्रकरणों में अधिरोपित शर्तों के पालन में तैयार किये गये पक्षी संवर्धन परियोजना के परीक्षण बाबत।

-00-

विषयांतर्गत लेख है कि रायगढ़ जिले में निम्न वनभूमि डायवर्सन प्रकरणों में भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा अधिरोपित शर्त के पालन में पक्षी संवर्धन परियोजना राज्य वन अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान द्वारा तैयार किया गया है।

क्र.	योजना का नाम	प्रभावित क्षेत्र	लागत राशि (Rs. Crore)
1	ओ.सी.पी. गोवरा खनन क्षेत्र हेतु एवीफौना योजना।	112.385 हे.	5.53

इन समस्त माईनिंग परियोजनाओं में तैयार किये गये पक्षी संवर्धन परियोजना की प्रति अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, राज्य वन अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान द्वारा एस.ई.सी.एल. को देते हुये इस कार्यालय को पृष्ठांकित की गई है। इन परियोजनाओं के संगत भारत सरकार द्वारा जारी स्टेज-1/2 स्वीकृति या पर्यावरणीय स्वीकृति की जानकारी आवेदक संस्थान द्वारा इस कार्यालय को प्राप्त नहीं की गई है। अतः निम्न में जानकारी प्रेषित करें :-

1. समस्त वनभूमि में डायवर्सन योजनाओं के स्टेज 1/2 के स्वीकृति जा भारत सरकार से जारी की गई हो की जानकारी आवेदक संस्थान से प्राप्त कर शासन द्वारा अधिरोपित शर्तों का अवलोकन करें जिसके पालन में उक्त योजनाएं तैयार की गई हैं।

2. उक्त समस्त प्लान का अध्ययन करें एवं इस बाबत अभिमत देवें की प्रोजेक्ट एरिया में प्रस्तावित समस्त कार्यक्षेत्र की वास्तविक योजनाओं पर आधारित है।

3. यदि प्रोजेक्ट एरिया हाथी विचरण क्षेत्र में हो तो मानव-हाथी द्वन्द्व एवं हाथी मानिट्रिंग हेतु पर्याप्त प्रावधान होना सुनिश्चित करें।

4 प्रोजेक्ट एरिया में वन्यप्राणी प्रखाने, मॉनिटरिंग आदि हेतु अन्य आवश्यक कार्य जो क्षेत्रीय परिस्थिति के अनुरूप हैं।

उपरोक्त बिन्दुओं पर इन समस्त प्लान का परीक्षण कर आवश्यकता अनुसार प्रोजेक्ट संशोधित किया जा सकता है। तत्पश्चात् प्रोजेक्ट अनुशरत सहित मुख्य वन संरक्षक (वन्यप्राणी) के माध्यम से इस कार्यालय को भेजा जावे।

(प्रमुख वन संरक्षक)
अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वन्यजीवन)
छत्तीसगढ़, नया रायपुर

पृ क्रमांक/व.जी./प्रबंध -488/2520

नया रायपुर दिनांक 08/09/2020

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

महाप्रबंधक, एस.ई.सी.एल. रायगढ़। समस्त वन भूमि हायवर्सेन के समस्त राज्य वन अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान द्वारा तैयार किये गये प्लान की प्रतियां वनमंडलाधिकारी रायगढ़, मुख्य वन संरक्षक वन्यप्राणी बिलासपुर को उपलब्ध करावे तथा वनमंडलाधिकारी रायगढ़ कार्यालय में प्रोजेक्ट के संबंध में आवश्यक चर्चा कर प्रोजेक्ट वनमंडलाधिकारी से अनुमोदन कराकर भेजना सुनिश्चित करे।

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वन्यजीवन)
छत्तीसगढ़, नया रायपुर



कार्यालय वन मण्डलाधिकारी कटघोरा वनमण्डल कटघोरा, जिला - कोरबा (छ.ग.)
Phone/Fax No.: 07815-250157, mail : dfo-katghora.cg@gov.in

क्रमांक/तक.अधि./2020/ 6649
प्रति,

कटघोरा, दिनांक 24.12.2020

उप वनमंडलाधिकारी पाली
कटघोरा वनमंडल कटघोरा

विषय : विभिन्न वन भूमि डायवर्सन प्रकरणों में अधिरोपित शर्तों के पालन में तैयार किये गये पक्षी संवर्धन परियोजना के परीक्षण बाबत।

संदर्भ : अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वन्यजीवन) रायपुर, छत्तीसगढ़ का पत्र क्र./व.जी./प्रबंध-488 /2519 नवा रायपुर, दिनांक 03.07.2020

— :000: —

उपरोक्त संदर्भित विषयांतर्गत लेख है कि ओ.सी.पी. गोवरा खनन क्षेत्र हेतु एथीफौना योजना तैयार कर आवेदक विभाग द्वारा प्रस्तुत किया था जिसमें अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वन्यजीवन) रायपुर द्वारा 04 बिंदुओं की जानकारी चाही गई है।

पक्षी संवर्धन योजना की मूल प्रति आपकी ओर प्रेषित है। बिंदु क्रमांक 02, 03 एवं 04 की जानकारी तैयार कर स्पष्ट अभिमत सहित इस कार्यालय में प्रस्तुत करें।

संलग्न: 1. संदर्भित पत्र की छायाप्रति।
2. पक्षी संवर्धन योजना की मूल प्रति।

पृ. क्रमांक/तक.अधि./2020/ 6650
प्रतिलिपि :

1. महाप्रबंधक एस.ई.सी.एल. गोवरा क्षेत्र जिला कोरबा की ओर सूचनार्थ प्रेषित।

वन मण्डलाधिकारी
कटघोरा वनमण्डल कटघोरा
कटघोरा, दिनांक 24.12.2020

वन मण्डलाधिकारी
कटघोरा वनमण्डल कटघोरा

ole

work file

कार्यालय उप वनमण्डलाधिकारी पाली, जिला - कोरबा (छ.ग.)

क्रमांक / ३३

पाली, दिनांक / २२/०७/२०२१

प्रति,

✓ वनमण्डलाधिकारी

कटघोरा, वनमंडल कटघोरा

विषय:-

विभिन्न वन भूमि डायवर्सन प्रकरणों में अधिरोपित शर्तों के पालन में तैयार किये गये पक्षी संवर्धन परियोजना के परीक्षण बाबत।

संदर्भ:-

आपका पत्र क्रमांक / तक्र.अधि. / 2020 / 6649 कटघोरा, दिनांक 24.12.2020

—000—

उपरोक्त संदर्भित विषयांतर्गत लेख है कि ओ.सी.पी. गोवरा खनन क्षेत्र हेतु एवीफौना

योजना तैयार कर आवेदन विभाग द्वारा प्रस्तुत किया था जिसमें अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वन्यजीवन) रायपुर द्वारा विन्दुवार जानकारी चाही गई है।

उपरोक्त चाही गई जानकारी निम्नानुसार है-

विन्दु क्रमांक 02 - ओ.सी.पी. गोवरा खनन क्षेत्र हेतु एवीफौना योजना का अध्ययन किय गया। प्रोजेक्ट एरिया में प्रस्तावित समस्त कार्यक्षेत्र वास्तावित योजनाओं पर आधारित है एवीफौना योजना से सहगति व्यक्त की जाती है।

विन्दु क्रमांक 03 - प्रोजेक्ट एरिया हाथी विचरण क्षेत्र के अंतर्गत नहीं आता है।

विन्दु क्रमांक 04 - प्रोजेक्ट एरिया के वन्य प्राणी प्रबंधन मॉनिटरिंग जैसे आवश्यक कार्य योजना में सम्मिलित किए गये है।

प्रतिवेदन सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु सादर सम्प्रेषित है।

संलग्न :- पक्षी संवर्धन योजना की मूल प्रति।



उप वनमण्डलाधिकारी
पाली, जिला - कोरबा (छ.ग.)



कार्यालय वन मण्डलाधिकारी कटघोरा वनमण्डल कटघोरा, जिला - कोरबा (छ.ग.)

Phone/Fax No.: 07815-250157, mail : dfo-katghora.cg@gov.in

क्रमांक/तक.अधि./2020/ 504
प्रति,

कटघोरा, दिनांक 25.02.2021

मुख्य वन संरक्षक (वन्यप्राणी)
एवं क्षेत्र संचालक,
अचानकमार टाईगर रिजर्व
बिलासपुर (छ.ग.)

विषय : विभिन्न वन भूमि डायवर्सन प्रकरणों में अधिरोपित शर्तों के पालन में तैयार किये गये पक्षी संतर्धान परियोजना के परीक्षण बाबत।

संदर्भ : अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वन्यजीवन) रायपुर, छत्तीसगढ़ का पत्र क्र./व.जी./प्रबंध-488 /2519 नवा रायपुर, दिनांक 03.07.2020

— ::000:: —

उपरोक्त संदर्भित विषयांतर्गत लेख है कि ओ.सी.पी. गेवरा खनन क्षेत्र हेतु एवीफौना योजना तैयार कर आवेदक विभाग द्वारा प्रस्तुत किया था जिसमें अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वन्यजीवन) रायपुर द्वारा 04 बिंदुओं की चाही गई जानकारी तैयार कर अवलोकनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु सादर संप्रेषित है।

क्र.	प्रश्न	उत्तर
1	समस्त वनभूमि में डायवर्सन योजनाओं के स्टेज 1/2 के स्वीकृति जा भारत सरकार से जारी की गई हो की जानकारी आवेदक संस्थान से प्राप्त कर शासन द्वारा अधिरोपित शर्तों का अवलोकन करें जिसके पालन में उक्त योजनायें तैयार की गई है।	प्रथम चरण स्वीकृति की छायाप्रति संलग्न है।
2	उक्त समस्त प्लान का अध्ययन करें एवं इस बाबत अभिमत देवें की प्रोजेक्ट एरिया में प्रस्तावित समस्त कार्यक्षेत्र की वास्तविक योजनाओं पर आधारित है।	OCP गेवरा खनन क्षेत्र हेतु एवीफौना योजना का अध्ययन किया गया। प्रोजेक्ट एरिया में प्रस्तावित समस्त कार्यक्षेत्र वास्तविक योजनाओं पर आधारित है एवीफौना योजना से सहमति व्यक्त की जाती है।
3	यदि प्रोजेक्ट एरिया हाथी विचरण क्षेत्र में हो तो मानव - हाथी द्वन्द एवं हाथी मानिट्रिंग हेतु पर्याप्त प्रावधान होना सुनिश्चित करें।	प्रोजेक्ट एरिया हाथी विचरण क्षेत्र के अंतर्गत नहीं आता है।
4	प्रोजेक्ट एरिया में वन्यप्राणी प्रबंधन, मानिट्रिंग आदि	प्रोजेक्ट एरिया में वन्यप्राणी प्रबंधन मानिट्रिंग

59

हेतु अन्य आवश्यक कार्य जो क्षेत्रीय परिस्थिति के अनुरूप है।	जैसे आवश्यक कार्य योजना में सम्मिलित किये गये है।
---	---

संलग्न: उपरोक्तानुसार

पू. क्रमांक/तक.अधि./2020/ 505
प्रतिलिपि :

1. अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू-प्रबंध) रायपुर की ओर सूचनार्थ संप्रेषित।
2. मुख्य वन संरक्षक बिलासपुर वृत्त, बिलासपुर की ओर सूचनार्थ संप्रेषित।
3. महाप्रबंधक एस.ई.सी.एल. गेयरा क्षेत्र जिला कोरबा की ओर सूचनार्थ प्रेषित।

वन मण्डलाधिकारी
कुटघोरा वनमण्डल कटघोरा
कटघोरा, दिनांक 25.02.2021

वन मण्डलाधिकारी
कुटघोरा वनमण्डल कटघोरा



छत्तीसगढ़ शासन वन विभाग

परियोजना प्रतिवेदन

कटघोरा वनमण्डल कटघोरा

गेवरा ओपन कास्ट परियोजना रकबा 112.385 हेक्टेयर के बदले सेफटीजोन के 1.5 गुणा रकबा 11.250 हेक्टेयर में

10 वर्षीय वृक्षारोपण

वर्ष 2021-22 से 2030-31 तक

1	बजट मद	-
2	कार्य का नाम	- 10 वर्षीय वृक्षारोपण
3	स्थल का नाम	- मसुरिहा
5	कक्ष क्रमांक	- P161
8	कुल रकबा (हे.में.)	- 194.025 हे.
9	प्रस्तापित क्षेत्र (हे.में.)	- 11.250 हे.
10	वन परिक्षेत्र	- पाली
11	वनमंडल का नाम	- कटघोरा वनमंडल
12	वृत्त का नाम	- बिलासपुर
13	विकासखंड का नाम	- पाली
14	विधानसभा का नाम	- कटघोरा
15	जिला का नाम	- कोरबा
10	अनुमानित कुल व्यय	- ₹. 8170541.00
11	जी.पी.एस.को-आर्डिनेट	- 1 N - 22°15'51.77" E - 82°24'37.63" 2 N - 22°15'43.21" E - 82°24'33.12" 3 N - 22°15'35.56" E - 82°24'48.45" 4 N - 22°15'41.39" E - 82°24'51.67"

वन परिक्षेत्र : पाली

वनमंडल : कटघोरा



प्रतिपाल
किया

Scanned with CamScanner

(61)

प्रस्ताव

गेवरा ओपन कास्ट परियोजना रकबा 112.385 हेक्टेयर के बदले
सेफटीजोन के 1.5 गुणा रकबा 11.250 हेक्टेयर में 10 वर्षीय वृक्षारोपण का प्रावकलन

1. परियोजना का नाम :- 10 वर्षीय वृक्षारोपण
2. परियोजना की लागत :- ₹. 8170541.00
3. परियोजना का मद :-
4. परियोजना की अवधि :- 2021-22 से 2030-31 तक
5. परियोजना क्षेत्र का विवरण :-
वनमंडल का नाम :- कटघोरा
उप वनमंडल का :- पाली
वन परिक्षेत्र :- पाली
प.स. वृत्त :- मुरली
परिसर :- मुरली
ग्राम पंचायत :- मुरली
सम्बद्ध वन प्रबंधन समितियां :- मुरली
6. परियोजना स्थल का विवरण :-
वनखण्ड :- छिंदपानी
कक्ष क्र. :- P161
कक्ष का कुल रकबा :- 194.025 हे.
कार्य वृत्त :-
कूप का पातन श्रेणी :-
प्रस्तावित रकबा :- 11.250 हे.
7. परियोजना में प्रस्तावित कार्य :-
 1. उपचार मानचित्र तैयार करना।
 2. वनों में चराई को रोकने के उद्देश्य से एंगल आयरन एवं चैनलिंग वायर मेश के माध्यम से फेंसिंग।
 3. प्रस्तावित क्षेत्रफल 6.000 हे. में वन वर्धनिक कार्यों के अंतर्गत 20 से.मी. से कम गोलाई के विकृत शस्यों की कटाई एवं कॉपिस का विरलन तथा उनकी बाड़ में बाधक अन्य प्रजाति के शस्यों की कटाई सफाई।
 4. पौधा रोपण हेतु 60x60x60 से.मी. साईज के गड्डों की खुदाई।
 5. पौधों में पानी की सिंचाई हेतु बोर खनन प्रस्तावित है।
 6. रोपण क्षेत्र की सुरक्षा एवं रख-रखाव संबंधित वन प्रबंधन समिति के माध्यम से किया जायेगा।

संलग्न :- प्रावकलन, ग्रिड मैप एवं उपचार मानचित्र।

वन परिक्षेत्र अधिकारी
पाली

गेवरा ओपन कास्ट परियोजना रकबा 112.385 हेक्टेयर के बदले सेप्टीजोन के 1.5 गुणा रकबा 11.250 हेक्टेयर का प्रोजेक्ट रिपोर्ट

जिसमें 10 वर्षीय वृक्षारोपण कार्य प्रस्तावित है

भाग - 1

सामान्य विवरण

कुल क्षेत्रफल	:-	11.250 हे.
कुल घेराव	:-	11.250 हे.
योजना	:-	10 वर्षीय वृक्षारोपण
वनमण्डल	:-	कटघोरा
परिक्षेत्र	:-	पाली
तहसील	:-	पाली
विधान सभा क्षेत्र	:-	कटघोरा
विकास खण्ड	:-	पाली
क्षेत्रीय परिक्षेत्र सहायक वृत्त	:-	मुरली
बीट	:-	मुरली
वनखण्ड	:-	छिंदपानी
कक्ष क्रमांक	:-	P161
कक्ष का क्षेत्रफल (हेक्टे.)	:-	194.025 हे.
कार्य वृत्त	:-	-
उपचार श्रेणी	:-	-
उपचार ईकाई क्रमांक	:-	-
उपचार वर्ष	:-	2021-22 से 2030-31
गठित समिति का प्रकार	:-	वन प्रबंधन समिति
समिति का मुख्यालय	:-	मुरली
समिति में सम्मिलित गांव	:-	मुरली
समिति में सम्मिलित ग्राम पंचायत	:-	मुरली
समिति/अध्यक्ष	:-	श्री मोतीराम मरकाम
परिक्षेत्र अधिकारी	:-	श्री केदारनाथ जोगी
परिक्षेत्र सहायक	:-	श्री कौर्ति कुमार तंवर
परिसर रक्षक	:-	श्री राजेन्द्र प्रसाद द्विवेदी
समिति के सदस्यों का विवरण	:-	

वर्ग	लघु कृषक			सीमांत कृषक			भूमिहीन			अन्य			योग		
	पु.	म.	योग	पु.	म.	योग	पु.	म.	योग	पु.	म.	योग	पु.	म.	योग
आदिवासी	45	40	85	6	4	10	13	12	25	0	0	0	64	56	120
अनुसूचित जाति	25	19	44	3	1	4	12	8	20	12	10	22	52	38	90
पिछड़ा वर्ग	22	18	40	4	3	7	8	7	15	0	0	0	34	28	62
अन्य	62	40	102	15	9	24	5	3	8	39	29	68	121	81	202
योग	154	117	271	28	17	45	38	30	68	51	39	90	271	203	474

भाग - 2
वन क्षेत्र का विवरण

क्षेत्र की भौगोलिक रचना

(अ) आस्पेक्ट

(ब) ढलान

(स) चट्टानों का विवरण

(द) मिट्टी का प्रकार

(इ) नरम मिट्टी का क्षेत्र (हे.)

(फ) कड़ी मिट्टी का क्षेत्र (हे.)

(म) पथरीली मिट्टी एवं कटाव का क्षेत्र (हे.)

(य) चट्टानी क्षेत्र (कार्य अयोग्य)

2. जलवायु

(अ) औसत वर्षा

(ब) औसत वर्षा के दिन

(स) औसत न्यूनतम तापमान

(द) संग्रहित प्राकृतिक प्रकोप

3. वन क्षेत्र का विवरण

(अ) वन का प्रकार एवं सस्य का संक्षिप्त विवरण

(ब) घनत्व

(स) जड़ भंडार

दक्षिण-पूर्व

10% to 40% तक

रोन्ड स्टोन

रेतीली दोमट मिट्टी

70%

30%

0%

0%

1100 मि.मी.

35 दिन

20 डि.से.

अग्नि दीमक अल्प वर्षा

मिश्रित वन

0.2. से 0.4 तक

मध्यम

(सैम्पल प्लॉट के आधार पर गोलाई वर्गवार प्रति हे. दूँठ संख्या)

21-30	31-45	41-60	61-80	81 से ऊपर	Total
0	0	0	0	0	0

(क) वृक्षारोपण कार्य विवरण खण्ड संख्या

क्षेत्रफल

रोपित पौधों की अनुमानित संख्या

चारागाह विकास क्षेत्र

मिरों का विवरण (सैम्पल प्लॉट के आधार पर प्रति हे.

औसत मिरों की संख्या)

4. प्रस्तावित क्षेत्र में पूर्व में किये गये वृक्षारोपण का विवरण

(यदि कोई है)

(अ) योजना

(ब) वर्ष

(स) क्षेत्रफल

(द) रोपित प्रजातियाँ

(फ) असफलता का कारण

(म) अपलेखन का विवरण

5. कक्ष में किये गये अन्य वृक्षारोपण का विवरण

क.	योजना	वर्ष	क्षेत्रफल	प्रजाति	पौधों की संख्या	वर्तमान हालत	रिमार्क
-	-	-	-	-	-	-	-

भाग - 3

उपचार कार्यो का विवरण

1. योजना का उद्देश्य

पृथारोपण कराना, वन विहीन क्षेत्र को अतिक्रमण से बचाना है, पर्यावरण सुदृढीकरण करना।

2. उपचार कार्यो का संक्षिप्त विवरण

1. क्षेत्र के सम्पूर्ण कक्ष का कुल रकबा 194.025 हे. में से 11.250 हे. का सीमांकन एवं उपचार मानचित्र तैयार करना

2. कार्य योग्य क्षेत्रफल 11.250 हे. में से 8.000 हे. में वन वर्धनिक कार्यो के अंतर्गत 20 रो.मी. से कम एवं अधिक गोलाई के विकृत शस्यों की कटाई एवं टूटों की ग्रेसिंग

3. कार्य योग्य क्षेत्र की एंगल आयसन एवं चैनलिंग वायरमेश से फेसिंग किया जाना प्रस्तावित है।

4. भौधों का रोपण कार्य।

3. क्षेत्र का रख-रखाव दसवें वर्ष तक।

3. रोपणी का नाम जहां पौधे तैयार किये जायेंगे

:- स्थायी रोपणी पाली

4. रोपणी से रोपण स्थल की दूरी

:-

5. (ट्रक/ट्रेक्टर द्वारा

:- 42.000 कि.मी.

(इ) सिर बोझ द्वारा

:- 0.500 कि.मी.

6. सिंचाई हेतु विवरण

:-

(अ)

(इ) वृक्षारोपण से दूरी

:-

(ब) सिंचाई का प्रकार

:-

सहती/ड्रिप

:-

(क) बिजली उपलब्धता

:- नहीं है

प्रजातियो जो रोपित किया जाना प्रस्तावित है

-	-
-	-

7. अन्य कार्य

:- निरंक

8. योजना की अवधि

:- वर्ष 2021-22 से 2030-31 तक

9. योजना पर होने वाला कुल संभावित व्यय

:- रु. 8170541.00

10. प्रति हे. व्यय

:- रु. 726270.00

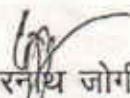
11. प्रति पौधा व्यय

:-

विस्तृत प्राक्कलन एवं उपचार मानचित्र पृथक से संलग्न है।

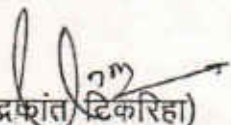
परिक्षेत्र अधिकारी का प्रमाण पत्र

मैं केदारनाथ जोगी वन परिक्षेत्र अधिकारी, पाली परिक्षेत्र कटघोरा वनमंडल प्रमाणित करता हूं कि गेवरा ओपन कास्ट परियोजना रकबा 112.385 हेक्टेयर के बदले सेपटीजोन के 1.5 गुणा रकबा 11.250 हेक्टेयर अंतर्गत 10 वर्षीय वृक्षारोपण का प्राक्कलन कक्ष क्रमांक P161 कुल रकबा 194.025 हे. में से कार्य योग्य रकबा 11.250 हे. के परियोजना प्रतिवेदन में दर्शाए गए समस्त तथ्यों का परीक्षण मेरे द्वारा किया गया है तथा परियोजना प्रतिवेदन में दर्शाए गए उपचारण के कार्यों का विवरण एवं मात्रा का विवरण मौके की आवश्यकता के अनुरूप है तथा इससे मैं तकनीकी/वानिकी के दृष्टिकोण से सहमत हूं।


(केदारनाथ जोगी)
परिक्षेत्र अधिकारी पाली

उप वनमंडलाधिकारी का प्रमाण पत्र

मैं चंद्रकांत टिकरिहा, उप वनमंडलाधिकारी, पाली, उपवनमंडल पाली, कटघोरा वनमंडल प्रमाणित करता हूं कि गेवरा ओपन कास्ट परियोजना रकबा 112.385 हेक्टेयर के बदले सेपटीजोन के 1.5 गुणा रकबा 11.250 हेक्टेयर अंतर्गत 10 वर्षीय वृक्षारोपण का प्राक्कलन कक्ष क्रमांक P161 कुल रकबा 194.025 हे. में से कार्य योग्य रकबा 11.250 हे. के परियोजना प्रतिवेदन में दर्शाए गए उपचारण के कार्यों का विवरण एवं मात्रा का मेरे द्वारा मौके पर अवलोकन कर इसे क्षेत्र की आवश्यकता के अनुरूप होना पाया। मैं इस परियोजना प्रतिवेदन से सहमत हूं तथा कार्य कराए जाने की अनुशंसा करता हूं।


(चंद्रकांत टिकरिहा)
उप वनमंडलाधिकारी, पाली

परियोजना प्रतिवेदन

गेवरा ओपन कास्ट परियोजना रकबा 112.385 हेक्टेयर के बदले

सेफ्टीजोन के 1.5 गुणा 11.250 हेक्टेयर में 10 वर्षीय वृक्षारोपण का प्रावकलन

कुल क्षेत्रफल : 194.025 हेक्टेयर,

फेंसिंग हेतु प्रस्तावित क्षेत्र 1625 र.मी.

रोपण योग्य क्षेत्र 11.250 है.

रोपण हेतु रकबा : 11.250 है, रोपित पौधों का अंतराल : 3x3 गड्ढों का आकार 60x60x60 से.मी., 1000 पौधा/हे. = कुल 11250 पौधे

रोपण स्थल का नाम : मसुरिहा

कक्ष क्रमांक : P161

दैनिक मजदूरी दर 300.00

प्रथम वर्ष (2021-22)

क.	कार्य क्र.क.	कार्य का विवरण	कार्य मात्रा	दर	ईकाई	कुल मा.दि.	कुल राशि
1	2	3	4	5	6	7	8
1	क्षेत्र सर्वेक्षण एवं परियोजना निर्माण						
1.1	PCCF Rate 1.1.1	क्षेत्र का सीमांकन - 3 मी. चौड़ी लाइन कटाई सफाई करना, जी.पी.एस. से सर्वे कर के.एम.एल. फाईल तैयार करते हुए, सीमा में खुंटा लगाना।	11.250	हे.	0.85	मा.दि./हे.	2869.00
1.2	PCCF Rate 1.1.2	वन सन्निधि उपचार मानचित्र बनाना तथा उपचार वर्ग को मानचित्र पर अंकित करना एवं प्रोजेक्ट रिपोर्ट तैयार करना।	11.250	हे.	0.25	मा.दि./हे.	874.00
सर्वेक्षण एवं सीमांकन पर व्यय :-							3743.00
2	फेंसिंग कार्य						
2.1	एंगल आयरन पोल एवं चैनलिक फेंसिंग कार्य - क्षेत्र की फेंसिंग हेतु जी.पी.एस. ट्रेकिंग से प्राप्त सीमालाइन (पैरीमीटर) के आधार पर फेंसिंग का कार्य किया जना सुनिश्चित किया जावेगा इस हेतु मैपसोर्स (Map Source) साफ्टवेयर से जी.पी.एस. से जी.पी.एस. ट्रेकिंग मैप जिसमें Length of Perimeter के साथ एरिया दर्शित हो लगाया जाना सुनिश्चित किया जावे।						
2.1.1	RES SOR 307	एंगल आयरन पोल गाड़ने हेतु कड़ी मिट्टी/कठोर मूलन में गड्ढा खुदाई साईज 0.40x0.40x0.40 = 0.064 Cmt. X 715 = 45.76 cmt.	45.760	घ.मी.	154.70	रु./घ.मी.	7079.00
2.1.2	RES SOR 413 ©	एंगल आयरन पोल गाड़ने हेतु खोदे गये गड्ढों में 1:4:8 सी.सी. का मिश्रण डालना एवं तराई (उपयोग 40एम.एम. गिट्टी) साईज 715x0.40x0.40x0.10 = 11.44 Cmt.	11.440	घ.मी.	2454.40	रु./घ.मी.	28078.00
2.1.3	PWD SOR 9.45	सीमेंट कांक्रिट स्लॉक में एंगल आयरन पोल निर्धारित साईज का लगाना (एंगल आयरन पोल का Bottom Spilt हो एवं Right angle में मुड़ा होना चाहिए तथा 10mm diameter का प्रत्येक 30 से.मी. में छेद होना चाहिए तथा एंगल आयरन पोल में रेड आक्सिडाइज जिक क्रोमेट प्राईमर की एक लेयर हो) साईज 50x50x6mm साईज 2.40 mtr. 715x2.40 = 1716.00 वर्ग मीटर @ 4.50 K.g. प्रति वर्ग मीटर	7722.000	कि.ग्र.	69.50	रु./कि.ग्र.	536679.00
2.1.4	RES SOR 413, 414 (a)	एंगल आयरन पोल गाड़ने हेतु खोदे गये गड्ढों में 1:4:8 सी.सी. का मिश्रण डालना एवं तराई (उपयोग 40एम.एम. गिट्टी) 715x0.40x0.40x0.30 = 34.32 cmt. (-) एंगल आयरन पोल साईज 715x0.30x0.06x0.06 = 0.772 cmt. Net-	33.550	घ.मी.	3787.50	रु./घ.मी.	127071.00
2.1.5	PWD SOR 9.43.1	निर्धारित साईज की 50x50mm छेद वाली 4mm diameter वाली जी.आई. तार से निर्मित चैनलिक लोहे की जाली एंगल आयरन पोल में 2mm diameter वाली जी.आई. तार/जी.आई. स्टेपल/जी.आई. यू. मेल्स/स्टील पिन की सहायता से बांधकर टाईट करना।	3412.000	घ.मी.	331.00	रु./घ.मी.	1129372.00
2.1.6	RES SOR 1335 (a)	एंगल आयरन पोल में 03 तह में ब्रश से इनामेल रोगन करना 715x2.10x0.20 = 300.3 वर्ग मीटर	300.300	घ.मी.	108.80	रु./घ.मी.	32673.00
2.1.7	RES SOR 1335 (a)	लोहे की चैनलिक जाली में 03 तह में ब्रश से इनामेल रोगन करना 1625x2.10x0.20 = 6825/10 = 682.500 वर्ग मीटर	682.500	मी.	108.80	रु./घ.मी.	74256.00
2.1.8	Spp. Rate	ट्रकबल प्वाइंट से चैनलिक जाली/एंगल आयरन पोल सीमेंट/रेत/गिट्टी कार्यस्थल तक परिवहन - सामग्री मूल्य का 2			L.S.		33321.00
2.1.9		अन्य आकस्मिक व्यय			L.S.		18222.00
फेंसिंग कार्य हेतु कुल आकस्मिक व्यय :-							1986751.00

1	2	3	4	5	6	7	8	
जड़ भंडार क्षेत्र उपचार कार्य								
3.1	Special Rate PCCF Rate	दूध ड्रेसिंग - 20 रो.मी. से अधिक गोलाई वर्ग के कापिस प्रजाति के जीवित दूध एवं गोलाई घन प्रतिकारण एवं अभिलेखन (100 प्रतिशत)	11.250	हे.	5.00	मा.दि./हे.	56.25	16875.00
3.2	Special Rate PCCF Rate 1.2.2	क्षेत्र की सफाई 20 रो.मी. गोलाई तक की अनुपयोगी कापिस देने वाली प्रजाति की आड़ी-टेढ़ी विकृत अग्रिम पीध की कटाई एवं दूधों की ड्रेसिंग तथा सफाई	6.000	हे.	5.00	मा.दि./हे.	30.00	9000.00
जड़ भंडार क्षेत्र उपचार कार्य पर व्यय :-							25875.00	
पानी में पौधा तैयारी :-								
4.1	Special Rate	30x45 रो.मी. पॉलीपाट में शीर्ष तथा मध्य विभाग के मिश्रित एवं फलदार पौधों की तैयारी अंतर्गत प्रथम वर्ष तैयारी व्यय (रोपण के समय पौधों का न्यूनतम आकार 6 से 8 फीट) (15 प्रतिशत अधिक पौधे केजुअल्टी सहित)	12938	पौधा	52.00	रु./पौधा		672776.00
नर्सरी में पौध तैयारी कार्य पर प्रथम वर्ष व्यय							672776.00	
रोपण क्षेत्र का उपचार :-								
5.1	स्टेकिंग कार्य :-							
5.1	PCCF Rate 1.4.3	3x3 मी. अंतराल में मिश्रित टाल ट्री रोपण हेतु	11250	नग	3.50	मा.दि./1000	39.38	11813.00
स्टेकिंग कार्य पर व्यय :-							11813.00	
6.1	Special Rate	मिट्टी परीक्षण :-						6000.00
7.1	गड्ढों की खुदाई :-							
7.1.1	PCCF 1.5.2.3	मिश्रित टाल ट्री रोपण हेतु 3x3 मीटर की अंतराल में 60x60x60 से.मी. साईज के कड़ी मिट्टी में गड्ढा खुदाई कार्य	11250	गड्ढा	12.00	मा.दि./100	1350.00	405000.00
7.1.2	Market Rate	गड्ढों की 25 प्रतिशत मिट्टी परिवर्तन हेतु उपजाऊ मिट्टी परिवहन - 60x60x60 = 0.216 cmt. X 11250 = 2430 cmt/25%	607.500	घ.मी.	250.00	रु./घ.मी.		151875.00
गड्ढा खुदाई कार्य पर व्यय :-							556875.00	
8.1		सिंचाई सुविधा का विकास :- प्रति 5 हेक्टेयर क्षेत्र हेतु 1 सोलर पम्प की मान से						
8.2	विशेष दर	मू-तल में पानी की जांच हेतु वाटर रेजिस्टिविटी टेस्ट कराना।	1		4000	प्रति बोर		4000
8.3	विशेष दर	बोरवेल खुदाई कार्य कम्प्लीट केसिंग सहित	1		100000	प्रति बोर		100000
8.4	विशेष दर	सोलर पम्प अथवा विद्युत चलित पम्प या डीजल पम्प की स्थापना मय समस्त उपकरण व पाई आदि	1		350000	प्रति बोर		350000
सिंचाई सुविधा विकास पर व्यय :-							454000	
क्षेत्र सुरक्षा एवं अन्य कार्य :-								
9.1		आस्थागूलक कार्य - संयुक्त वन प्रबंधन समिति के प्रस्ताव अनुसार	11.250	हे.	5000	रु./हे.		56250
9.2	अग्नि सुरक्षा							
9.2.1	PCCF Rate 5.4.5 & 5.4.6	सम्पूर्ण क्षेत्र को 11.250 हेक्टेयर की सेक्टर में विभाजित कर 3 मीटर चौड़ी अग्नि सुरक्षा पट्टी का निर्धारण करना। (90 मी./हे. की मान से)	900		2.5	मा.दि./1000 मी.	2.25	675
9.3	अन्य व्यय							
9.3.1		अन्य आकरिमक व्यय यथा साईनबोर्ड, गेट आदि लगाया जाना निरीक्षण/चौकीदार हट का निर्माण	L.S					37980
अन्य आकरिमक व्यय का योग :-							94905	
कुल योग							3800925.00	
प्रति हेक्टेयर व्यय							337860.00	

द्वितीय वर्ष (2022-23)

क्र.	कार्य दर क्र.	कार्य का विवरण	कार्य मात्रा		दर	ईकाई	कुल मा.दि.	कुल राशि
1	2	3	4		5	6	7	8
1.1	Special Rate	अनुसंधान एवं मूल्यांकन :- रोपण क्षेत्र में रोपित पौधों की ऊंचाई एवं मोटाई वृद्धि मापन का कार्य माह अक्टूबर एवं जनवरी/फरवरी में करवा हुये डाटा एनालिसिस करना।	11250	नग	0.50	रु./नग	-	5625.00
1.2	Special Rate	अग्नि सुरक्षा, घराई, नियंत्रण, बगीचे पर निर्भरता कम करने के उपाय, कृषि यानित्री, एवं घासीनों के सामाजिक आर्थिक उन्नयन आदि विषयों पर वन कार्यधारियों, अधिकारियों एवं वन प्रबंधन शक्ति के	11.250	नग	5000.00	रु./हे.	-	56250.00
पौधों की वृद्धि मापन पर व्यय :-								61875.00
फोसिंग कार्य :-								
2.1		फोसिंग गरमता कार्य (5 प्रतिशत)					L.S.	83303.00
फोसिंग गरमता कार्य पर कुल व्यय :-								83303.00
रोपणी में पौधा तैयारी कार्य पर व्यय :-								
3.1	Special Rate	30x45 से.मी. पॉलीपाट में शीर्ष तथा मध्य वितान के मिश्रित एवं फलदार पौधों की तैयारी अंतर्गत द्वितीय वर्ष रखरखाव व्यय (रोपण के समय पौधों का न्यूनतम आकार 6 से 8 फीट) (15 प्रतिशत अधिक पौधे केजुअल्टी सहित)	12938	नग	13.00	रु./नग	-	168194.00
3.2	Special Rate	30x45 से.मी. पॉलीपाट में 10 प्रतिशत मृत पाध प्रतिस्थापन हेतु शीर्ष तथा मध्य वितान के मिश्रित एवं फलदार पौधों की तैयारी अंतर्गत प्रथम वर्ष व्यय (रोपण के समय पौधों का न्यूनतम आकार 6 से 8 फीट) (10 प्रतिशत अधिक पौधे केजुअल्टी सहित)	1125	नग	13.00	रु./नग	-	14625.00
रोपणी में पौधा तैयारी कार्य का द्वितीय वर्ष रखरखाव व्यय :-								182819.00
रोपण क्षेत्र का उपचार								
4.1		पौधा परिवहन						
4.1.1	Special Rate	30x45 से.मी. पॉलीपाट में मिश्रित एवं फलदार शीर्ष तथा मध्य वितान प्रजाति के पौधों को नर्सरी से रोपण हेतु गड़दे तक पहुंचाना	12938	नग	15.00	रु./नग	-	194070.00
पौधा परिवहन पर व्यय :-								194070.00
5.1		पौधा रोपण						
5.1.1	Special Rate	पौधा रोपण कार्य 60x60x60 से.मी. आकार के गड़दों में (खाद एवं मिट्टी भराई सहित) 3.20 रोपण + 0.45 गड़दा भराई प्रति मानव	11250	नग	4.00	मा.दि. / 100	450	135000.00
रोपण कार्य पर व्यय :-								135000.00
5.2		रोपण एवं निंदाई के समय उपयोग हेतु खाद कय						
5.2.1		गोबर खाद/समिति द्वारा उत्पादित कार्बनिक खाद						
5.2.2	Local Rate	60 ³ से.मी. आकार के गड़दों में मिश्रित एवं फलदार पौध रोपण हेतु गोबरखाद का कय परिवहन सहित (1/6 भाग भारना) $0.60 \times 0.60 \times 0.60 = 0.216 \text{ M}^3 \text{ का } (1/6) = 0.036 \text{ M}^3$	607.500	घ.मी.	850.00	रु./घ.मी.	-	516375.00
5.3		डी.ए.पी. रासायनिक खाद						
5.3.1	Local Rate	60x60x60 से.मी. आकार के गड़दों में 50 ग्राम प्रति पौधा (मिश्रित एवं फलदार) की दर पर रोपण के समय उपयोग हेतु कय।	563	कि.ग्रा	30.00	रु./कि.ग्रा.	-	16875.00
5.4		नीम खली का कय						
5.4.1	Local Rate	60x60x60 से.मी. एवं 45x45x45 आकार के गड़दों में 150 ग्राम प्रति पौधा की मान से रोपण के समय उपयोग।	1688	कि.ग्रा	25.00	रु./कि.ग्रा.	-	42187.00
5.4.2	Local Rate	कीटनाशक/क्लोरोपायरीफास 3 एम.एल प्रति पौधा की मान से रोपण के समय उपयोग।	38	ली.	600.00	रु./ली.	-	22800.00
5.5		रासायनिक खाद एन.पी.के. (निंदाई के समय)						
2.5.1	Local Rate	एन.पी.के. का उपयोग निंदाई के समय सागीन, मिश्रित एवं फलदार पौधों में प्रति पौधा 50 ग्राम प्रति निंदाई छेदकर उपयोग हेतु कुल 150 ग्राम की दर पर कय।	1688	कि.ग्रा	28.00	रु./कि.ग्रा.	-	47250.00
2.5.2	-	पौधों की अच्छी बड़त के लिए मिट्टी परीक्षण लेब से प्राप्त प्रतिवेदन के अन्वय पर बायोफर्टिलाइजर, हार्मोन एवं एन्जाइम का उपयोग	11250	पौधा	5.00	रु./पौधा	-	56250.00
खाद एवं कीटनाशक दवा कय पर व्यय :-								701737.00

1	2	3	4	5	6	7	8
5.5		निंदाई कार्य :-					
5.4.1	Special Rate	प्रथम निंदाई एवं गुड़ाई रोपण की 15 दिन पश्चात एवं मीटर व्यास में की जावेगी। (अर्धचन्द्राकार बाला सहित) खाद प्रयोग सहित	11250	पीछे	2.00	मा.दि./100	225 67500.00
5.5.2	Special Rate	द्वितीय निंदाई एवं गुड़ाई 1 मीटर चौड़ी पट्टी में रोपण के 45 दिन बाद की जावेगी। रासायनिक खाद एवं कीटनाशक खाद डाला जावेगा। (2 मा.दि. प्रति रीकट)	11250	पीछे	2.00	मा.दि./100	225 67500.00
5.5.3	PCCF Rate 4.11.3.2	तृतीय निंदाई एवं गुड़ाई एक मीटर व्यास में रोपण के 75 दिन बाद की जावेगी। खाद प्रयोग सहित (तृतीय निंदाई के साथ गुड़ाई किये जाने पर भू सतह पर बने कैपिलरी टूटने से भूमि सतह की नमी लम्बे समय तक बनी रहती है इसलिए तृतीय निंदाई के साथ गुड़ाई किया जाना आवश्यक है)	11250	पीछे	1.20	मा.दि./100	135 40500.00
निंदाई पर कुल व्यय :-							175500.00
6.1		पीछों की रोपण पश्चात माह अक्टूबर नवम्बर से मार्च तक नियमित रूप से पीछों में आवश्यकतानुसार पानी सिंचाई सोलर पम्प की सहायता से किया जावेगा। इस हेतु प्रति 5 हेक्टेयर 4 श्रमिक पानी की धार बनाने एवं पाईप की सहायता से पीछों तक पहुंचाने का कार्य किया जावेगा। हरियर छ.ग. कोष भरनी रोपण 2017 में सिंचाई प्रयोग परीक्षण आंकड़ों के अनुसार दो श्रमिकों के द्वारा 3x3 मीटर की अंतराल पर लगभग 1 हेक्टेयर में रोपित 1000 पीछों में एक बार सिंचाई किया जाना संभव हो पाया था तदनुसार प्रति 1000 पीछों में एक बार सिंचाई हेतु 1.82 मानव दिवस श्रम की आवश्यकता होगी।					
6.1.1	Special Rate	माह नवम्बर से मार्च तक पन्द्रह दिवस की अन्तराल में एक सिंचाई (31+30+31+30+31)/15	10	दिन	1.82 11250	मा.दि./100 पीछे)	204.75 61425.00
6.1.4		पम्प का रखरखाव एवं फलेक्सिबल पाईप आदि पर आकस्मिक व्यय					L.S. 35000.00
सिंचाई पर कुल व्यय :-							96425.00
		सुरक्षा एवं अन्य आकस्मिक कार्य					
7.1	Special Rate	सुरक्षा श्रमिक प्रत्येक सेक्टर हेतु एक श्रमिक माह अप्रैल से मार्च तक 01 श्रमिक प्रति माह... नोट :- सुरक्षा का कार्य वन प्रबंधन समिति के द्वारा किया जाना अनिवार्य किया जावे, जिसके अंतर्गत वन प्रबंधन समिति के द्वारा लिए गए निर्णय के अनुसार सुरक्षा राशि का भुगतान समिति के खाते में किया जाकर उनके द्वारा निर्धारित सुरक्षा श्रमिकों को रोपण क्षेत्र में संलग्न किया जावे। श्रमिकों की पारिश्रमिक राशि का भुगतान समिति स्तर पर किया जाकर अतिरिक्त बचत राशि का उपयोग वन प्रबंधन समिति स्तर पर ग्राम विकास कार्य हेतु व्यय किया जावेगा।	1 12	श्रमिक माह	26.000	मा.दि./माह	312.00 93600.00
7.2		प्रशिक्षण कार्य					
7.2.1		अन्य आकस्मिक व्यय यथा साईनबोर्ड, गेट आदि की मरम्मत/निरीक्षण पथ एवं चौकीदार हट का रखरखाव कार्य					L.S. 65000.00
सुरक्षा एवं अन्य कार्य पर कुल व्यय :-							158600.00
योग							1789329.00
मजदूरी /सामग्री दरों में आकस्मिक वृद्धि आदि 5 प्रतिशत							89466.00
कुल योग							1878795.00
प्रति हेक्टेयर व्यय							167004.00

तृतीय वर्ष (2023-24)

क्र.	कार्य दर क्र.	कार्य का विवरण	कार्य मात्रा		दर	ईकाई	कुल मा.दि.	कुल राशि
1	2	3	4		5	6	7	8
1	1.1	Special Rate अनुश्रवण एवं मूल्यांकन :- रोपण क्षेत्र में रोपित पीधों की ऊंचाई एवं गोलाई वृद्धि मापन का कार्य माह अक्टूबर एवं जनवरी/फरवरी में करते हुये डाटा एनालिसिस करना।	11250	नग	0.75	रु./नग	-	8438.00
पीधों की वृद्धि मापन पर व्यय :-								8438.00
2		फेंसिंग कार्य						
	2.1	फेंसिंग गरमगत कार्य (10 प्रतिशत)					L.S.	166606.00
फेंसिंग रखरखाव एवं गरमगत पर कुल व्यय								166606.00
3		रोपणी में पीधा तैयारी कार्य पर व्यय						
	3.1	Special Rate 30x40 से.मी. पॉलीपाट में 10 प्रतिशत मृत पीधों की प्रतिस्थापना हेतु शीर्ष तथा मध्य वितान के मिश्रित एवं फलदार पीधों की तैयारी एवं रखरखाव हेतु द्वितीय वर्ष व्यय (रोपण के समय पीधों का न्यूनतम आकार 6 से 8 फीट) 10 प्रतिशत अतिरिक्त	1125	पीधे	23.00	रु./पीधा	-	25875.00
रोपणी कार्य पर तृतीय तृतीय वर्ष व्यय								25875.00
4	4.1	रोपण क्षेत्र उपचार (मृतप्रत्यारोपण कार्य 10 प्रतिशत)						
	4.1.1	PCCF Rate 1.5.2.2 मृत पीधों से बने खाली स्थान पर शीर्ष एवं मध्य वितान के मिश्रित एवं फलदार पीधों के रोपण हेतु गड्ढा खोदाई 60x60x60 से.मी. साईज नरम मिट्टी में।	1125	पीधे	10.50	रु./पीधा	-	11813.00
	4.1.2	Special Rate पीधों का परिवहन (पॉलीथीन साईज 25x30 से.मी.)	1125	पीधे	15.00	रु./पीधे	-	16875.00
	4.1.3	Local Rate कीटनाशक ग्लोरोपायरीफास 3 एम.एल. प्रति पीधा की मान से उपयोग	3.500	ली.	600.00	रु./ली.	-	2100.00
	4.1.4	PCCF Rate 4.10.2.3 मृत पीधों से बने खाली स्थान पर खोदे गए 60x60x60 से.मी. साईज के गड्ढों में शीर्ष एवं मध्य वितान के मिश्रित एवं फलदार पीधों का रोपण	1125	पीधे	3.55	मा.दि./100	39.94	11981.00
मृतप्रत्यारोपण कार्य पर कुल व्यय :-								42769.00
5	5.1	रासायनिक खाद एन.पी.के. का कय						
	5.2.1	Local Rate रासायनिक खाद कय एन.पी.के. 50 ग्राम प्रति पीधा निंदाई के समय तीन बार उपयोग हेतु 150 ग्राम प्रति पीधा के मान से	1688	कि.ग्रा	28.00	रु./कि.ग्रा.	-	47250.00
	-	इमीकम्पोस्ट का कय 0.200 ग्राम प्रति पीधा निंदाई के समय 03 बार उपयोग हेतु 600 ग्राम प्रति पीधा के मान से कय	6750	कि.ग्रा	8.00	रु./पीधा	-	54000.00
रासायनिक खाद एन.पी.के. का कय पर व्यय :-								101250.00
	5.2	निंदाई कार्य						
	5.2.1	Special Rate 1. प्रथम निंदाई/गुड़ाई एक मीटर व्यास में की जावेगी जिसके साथ मृत पीधों को बदलना, घुरिया तथा जैविक खाद डाला जाएगा।	11250	पीधे	2.00	मा.दि./100	225	67500.00
	5.2.2	PCCF Rate 4.11.2.2 2. द्वितीय निंदाई/गुड़ाई 1 मीटर घ्रीछी पट्टी में एक माह बाद की जावेगी एवं थाला बनाया जावेगा (2 मा.दि. प्रति सैकड़ा)	11250	पीधे	2.00	मा.दि./100	225	67500.00
	5.2.3	PCCF Rate 4.11.3.2 तृतीय निंदाई एवं गुड़ाई एक मीटर व्यास में की जावेगी। (थाला बनवाने सहित)	11250	पीधे	1.20	मा.दि./100	135	40500.00
निंदाई पर व्यय :-								175500.00

1	2	3	4	5	6	7	8	
6		पानी सिंचाई कार्य						
6.1		पौधों की रोपण पश्चात माह नवम्बर से मार्च तक नियमित रूप से पौधों में आवश्यकतानुसार पानी सिंचाई सोलार पंप की सहायता से किया जावेगा। इस हेतु प्रति 5 हेक्टेयर 4 श्रमिक पानी की धार बनाने एवं पाईप की सहायता से पौधों तक पहुंचाने का कार्य किया जावेगा। हरियर छ.ग. कोप भरनी रोपण 2017 में सिंचाई प्रयोग परीक्षण आंकड़ों के अनुसार दो श्रमिकों के द्वारा 3x3 मीटर की अन्तराल पर लगभग 1 हेक्टेयर में रोपित 1000 पौधों में पाईप की पानी से सिंचाई किया जाना सम्भव हो पाया था तदनुसार प्रति पौधा एक बार सिंचाई हेतु 1.02 मानव दिवस श्रम की आवश्यकता होगी।						
6.1.1	Special Rate	माह अप्रैल से जून तक दस दिवस की अन्तराल में एक सिंचाई	9	बार	1.82 11250	मा.दि. / 1000 पौधा)	184.28	55283.00
6.1.2	Special Rate	माह नवम्बर से मार्च तक पन्द्रह दिवस की अन्तराल में एक सिंचाई	10	बार	1.82 11250	मा.दि. / 1000 पौधा)	204.75	61425.00
6.1.3		पंप का रखरखाव एवं फल्टेबिल पाईप आदि पर आकस्मिक व्यय						10000.00
सिंचाई पर कुल व्यय :-								126708.00
7		अन्य कल्चरल आपरेशन						
7.1		एकत्रीकरण कार्य						
7.1.1		जीवित दूधों से निकले गल्टीपल शूटों में से एक या दो स्वस्थ कापिस को रखते हुए अन्य कमजोर व विकृत कापिस की कटाई एवं सफाई कार्य	11.250	हे.	3.00	मा.दि./ हे.	33.75	10125.00
अन्य कल्चरल आपरेशन के तहत कापिस का एकत्रीकरण कार्य पर व्यय								10125.00
8		सुरक्षा एवं अन्य आकस्मिक कार्य						
8.1	Special Rate	सुरक्षा श्रमिक प्रत्येक सेक्टर हेतु एक श्रमिक माह अप्रैल से मार्च तक 01 श्रमिक प्रति माह.... नोट :- सुरक्षा का कार्य वन प्रबंधन समिति के द्वारा किया जाना सनिश्चित किया जावे, जिसके अंतर्गत वन प्रबंधन समिति के द्वारा लिए गए निर्णय के अनुसार सुरक्षा राशि का भुगतान समिति के खाते में किया जाकर उनको द्वारा निर्धारित सुरक्षा श्रमिकों को रोपण क्षेत्र में संलग्न किया जावे। श्रमिकों की पारिश्रमिक राशि का भुगतान समिति स्तर पर किया जाकर अतिरिक्त बचत राशि का उपयोग वन प्रबंधन समिति स्तर पर ग्राम विकास कार्य हेतु व्यय किया जावेगा।	1	श्रमिक			L.S.	40000.00
8.2		अन्य आकस्मिक व्यय					L.S.	2056
सुरक्षा एवं अन्य कार्य पर कुल व्यय :-								42056.00
योग								699327.00
मजदूरी / सामग्री दरों में आकस्मिक वृद्धि आदि 5 प्रतिशत								34966.00
कुल योग								734293.00
						प्रति हेक्टेयर व्यय		65270.49
						या प्रति हेक्टेयर व्यय		65270.50

चतुर्थ वर्ष (2024-25)

क्र.	वार्षिक दर	कार्य का विवरण	कार्य मात्रा	दर	ईकाई	कुल मा.दि.	कुल राशि
1	2	3	4	5	6	7	8
		क्षेत्र सर्वेक्षण एवं परियोजना निर्माण					
1.1	Special Rate	अनुसंधान एवं मूल्यांकन :- रोपण क्षेत्र में रोपित पौधों की ऊंचाई एवं गोलाई वृद्धि मापन वन कार्य माह अक्टूबर एवं जनवरी/फरवरी में करती हुये डाटा एनालिसिस करना।	11250.000	पौधे	0.75 रु./पौधा	-	8438.00
							पौधों की वृद्धि मापन पर व्यय :- 8438.00
		फोसिंग कार्य					
2.1		फोसिंग मरम्मत कार्य (10 प्रतिशत)				L.S.	166606.00
							फोसिंग रखरखाव एवं मरम्मत पर कुल व्यय 166606.00
3.1		निर्दाई कार्य					
3.1.1	Special Rate	1. प्रथम निर्दाई/गुड़ाई एक मीटर व्यास में रोपित एवं अंगीकृत दोनों प्रकार के पौधों में की जावेगी जिसके साथ निधारित मात्रा में सुरिया तथा जैविक खाद डाला जाएगा। (अर्द्धचन्द्राकार थाला बनवाई एवं खाद प्रयोग सहित)	11250	पौधे	2.00 मा.दि./100	225	67500.00
3.1.2	PCCF Rate 4.11.2.2	2. द्वितीय निर्दाई/गुड़ाई 1 मीटर चौड़ी पट्टी में एक माह बाद की जावेगी एवं थाला बनाया जावेगा (2 मा.दि. प्रति रोकडा)	11250	पौधे	2.00 मा.दि./100	225	67500.00
3.1.3	Market Rate	पानी कम्पोस्ट खाद क्रय 250 ग्राम प्रति पौधा निर्दाई के समय 02 बार उपयोग हेतु 500 ग्राम प्रति पौधा के मान से क्रय	5625	कि.ग्रा	8.00 रु./कि.ग्रा	-	45000.00
							निर्दाई कार्य पर कुल व्यय :- 180000.00
4		पानी सिंचाई कार्य					
4.1		पौधों की रोपण परधाल माह नवम्बर से मार्च तक नियमित रूप से पौधों में आवश्यकतानुसार पानी सिंचाई सोलर पंप की सहायता से किया जावेगा। इस हेतु प्रति 5 हेक्टेयर 4 श्रमिक पानी की धार बनाने एवं पाईप की सहायता से पौधों तक पहुंचाने का कार्य किया जावेगा। हरियर छ.ग. कोष भरनी रोपण 2017 में सिंचाई प्रयोग परीक्षण आंकड़ों के अनुसार दो श्रमिकों के द्वारा 3X3 मीटर की अन्तराल पर लगभग 1 हेक्टेयर में रोपित 1000 पौधों में पाईप की पानी से सिंचाई किया जाना सम्भव हो पाया था तदनुसार प्रति पौधा एक बार सिंचाई हेतु 1.82 मानव दिवस श्रम की आवश्यकता होगी।					
6.1.1	Special Rate	माह अप्रैल से जून तक दस दिवस की अन्तराल में एक सिंचाई	9	बार	1.82 मा.दि./1100 11250 पौधा)	184.28	55283.00
6.1.2	Special Rate	माह नवम्बर से मार्च तक दस दिवस की अन्तराल में एक सिंचाई	10	बार	1.82 मा.दि./1100 11250 पौधा)	204.75	61425.00
6.1.3		पंप का रखरखाव एवं फ्लेक्सिबल पाईप आदि पर आकस्मिक					9000.00
							सिंचाई पर कुल व्यय :- 125708.00
3		सुरक्षा एवं अन्य आकस्मिक कार्य					
3.1	Special Rate	सुरक्षा श्रमिक प्रत्येक सेक्टर हेतु एक श्रमिक माह नवम्बर से मार्च तक नियमित रूप से पौधों में आवश्यकतानुसार पानी सिंचाई सोलर पंप की सहायता से किया जावेगा। इस हेतु प्रति 06 हेक्टेयर 2 श्रमिक पानी की धार बनाने एवं पाईप की सहायता से पौधों तक पहुंचाने का कार्य किया जावेगा।	1 12	श्रमिक माह		L.S.	40000.00
3.2		अन्य आकस्मिक व्यय				L.S.	12343.00
							सुरक्षा एवं अन्य कार्य पर कुल व्यय :- 52343.00
							योग व्यय :- 533095.00
							मजदूरी / सामग्री दरों में आकस्मिक वृद्धि आदि 5 प्रतिशत 26655.00
							कुल योग 559750.00
							प्रति हेक्टेयर व्यय 49755.56
							या प्रति हेक्टेयर व्यय 49755.50

पंचम वर्ष (2025-26)

क्र.	कार्य दर क्र.	कार्य का विवरण	कार्य मात्रा	दर	ईकाई	कुल मा.दि.	कुल राशि
1	2	3	4	5	6	7	8
		क्षेत्र सर्वेक्षण एवं परियोजना निर्माण					
1.1	Special Rate	अनुश्रवण एवं मूल्यांकन :- रोपण क्षेत्र में रोपित पीछों की ऊंचाई एवं गोलाई वृद्धि मापन का कार्य माह अक्टूबर एवं जनवरी/फरवरी में करते हुये डाटा एनालिसिस करना।	11250.000	पीछे	0.75	रु./पीछा	8438.00
पीछों की वृद्धि मापन पर व्यय :-							8438.00
		फेसिंग कार्य					
2.1		फेसिंग मरम्मत कार्य (10 प्रतिशत)				L.S.	166606.00
फेसिंग रखरखाव एवं मरम्मत पर कुल व्यय :-							166606.00
		सुरक्षा एवं अन्य आकस्मिक कार्य					
3.1	Special Rate	सुरक्षा श्रमिक प्रत्येक सेक्टर हेतु एक श्रमिक माह अप्रैल से मार्च तक 01 श्रमिक प्रति माह... नोट :- सुरक्षा का कार्य वन प्रबंधन समिति के द्वारा किया जाना सनिश्चित किया जाये, जिसके अंतर्गत वन प्रबंधन समिति के द्वारा लिए गए निर्णय के अनुसार सुरक्षा राशि का भुगतान समिति के खाते में किया जाकर उनके द्वारा निर्धारित सुरक्षा श्रमिकों को रोपण क्षेत्र में संलग्न किया जावे। श्रमिकों की पारिश्रमिक राशि का भुगतान समिति स्तर पर किया जाकर अतिरिक्त बचत राशि का उपयोग वन प्रबंधन समिति स्तर पर ग्राम विकास कार्य हेतु व्यय किया जायेगा।	1 12	श्रमिक माह		L.S.	40000.00
3.2		अन्य आकस्मिक व्यय				L.S.	8127.00
सुरक्षा एवं अन्य कार्य पर कुल व्यय :-							48127.00
योग व्यय :-							223171.00
सामग्री / मजदूरी दरों में आकस्मिक वृद्धि कुल 5 प्रतिशत							11159.00
कुल योग							234330.00
प्रति हेक्टेयर व्यय							20829.33
या प्रति हेक्टेयर व्यय							20829.30

सप्तम वर्ष (2026-27)

क्र.	कार्य दर क्र.	कार्य का विवरण	कार्य मात्रा	दर	ईकाई	कुल मा.दि.	कुल राशि
1	2	3	4	5	6	7	8
1		क्षेत्र सर्वेक्षण एवं परियोजना निर्माण					
1.1	Special Rate	अनुश्रवण एवं मूल्यगणन :- रोपण क्षेत्र में रोपित पौधों की ऊँचाई एवं गोलाई वृद्धि मापन का कार्य माह अक्टूबर एवं जनवरी/फरवरी में करते हुये खाटा एनालिसिस करना।	11250	पीघे	0.75	रु./पीघे	8438
पौधों की वृद्धि मापन पर व्यय :-							8438
2		फोसिंग कार्य					
2.1		फोसिंग मरम्मत कार्य (5 प्रतिशत)					83303.00
फोसिंग रखरखाव एवं मरम्मत पर कुल व्यय :-							83303.00
3	3.1	निंदाई कार्य :-					
3.1.1	special Rate	1. प्रथम निंदाई/गुड़ाई एक मीटर व्यास में रोपित एवं अंगीकृत दोनों प्रकार के पौधों में की जायेगी जिसके साथ निर्धारित मात्रा में गुरिया तथा जैविक खाद डाला जाएगा। (अर्द्धचन्द्राकार धाला बनवाई एवं खाद प्रयोग सहित)	563	पीघे	2.00	मा.दि./100	3378.00
3.1.2	PCCF Rate 4.11.2.2	2. द्वितीय निंदाई/गुड़ाई 1 मीटर चौड़ी पट्टी में एक माह बाद की जायेगी एवं धाला बनाया जावेगा (2 मा.दि. प्रति सैकडा)	563	पीघे	2.00	मा.दि./100	3378.00
3.2		रासायनिक खाद एन.पी.के. (निंदाई के समय)					
3.2.1	Local Rate	एन.पी.के. का उपयोग निंदाई के समय औषधी प्रजाति के झाड़ी बेल प्रजाति के पौधों में प्रति पौधा 25 ग्राम प्रति निंदाई उपयोग हेतु 50 ग्राम के मान से क्रय	28	कि.ग्रा	28.00	रु./कि.ग्रा.	788.20
3.1.4	Market Rate	वर्मी कम्पोस्ट खाद क्रय 100 ग्राम प्रति पौधा निंदाई के समय 02 बार उपयोग हेतु 200 ग्राम प्रति पौधा के मान से क्रय	113	कि.ग्रा	8.00	रु./कि.ग्रा.	900.80
अन्य कल्चरल अपरेशन के तहत विलनिंग कार्य पर व्यय :-							8445.00
4		सुरक्षा एवं अन्य आकस्मिक कार्य					
4.1	Special Rate	सुरक्षा श्रमिक प्रत्येक सेक्टर हेतु एक श्रमिक माह अप्रैल से मार्च तक 01 श्रमिक प्रति माह... नोट :- सुरक्षा का कार्य वन प्रबंधन समिति के द्वारा किया जाना सुनिश्चित किया जावे, जिसके अंतर्गत वन प्रबंधन समिति के द्वारा लिए गए निर्णय के अनुसार सुरक्षा राशि का भुगतान समिति के खाते में किया जाकर उनके द्वारा निर्धारित सुरक्षा श्रमिकों को रोपण क्षेत्र में संलग्न किया जावे। श्रमिकों की पारिश्रमिक राशि का भुगतान समिति स्तर पर किया जाकर अतिरिक्त बचत राशि का उपयोग वन प्रबंधन समिति स्तर पर ग्राम विकास कार्य हेतु व्यय किया जावेगा।	1 12	श्रमिक माह		L.S.	60000.00
4.2		अन्य आकस्मिक व्यय				L.S.	8908
सुरक्षा एवं अन्य कार्य पर कुल व्यय :-							68908.00
योग व्यय :-							169024.00
सामग्री / मजदूरी दरों में आकस्मिक वृद्धि कुल 10 प्रतिशत							16909.00
कुल योग							186003.00
प्रति हेक्टेयर व्यय							16533.60

76

साप्ताहिक वर्ष (2027-28)

क्र.	कार्य दर क.	कार्य का विवरण	कार्य मात्रा	दर	ईकाई	कुल मा.दि.	कुल राशि
1	2	3	4	5	6	7	8
		क्षेत्र सर्वेक्षण एवं परियोजना निर्माण					
1.1	Special Rate	अनुश्रवण एवं मूल्यांकन :- रोपण क्षेत्र में रोपित पौधों की ऊँचाई एवं मोटाई वृद्धि मापन का कार्य माह अक्टूबर एवं जनवरी/फरवरी में करते हुये डाटा एनालिसिस करना।	11250	पौधे	0.75	रु./पौधा	8438.00
							8438.00
		फोसिंग कार्य					
2.1		फोसिंग गरम्मत कार्य (5 प्रतिशत)				L.S.	83303.00
							83303.00
		फोसिंग रखरखाव एवं गरम्मत पर कुल व्यय :-					83303.00
		सुरक्षा एवं अन्य आकस्मिक कार्य					
3.1	Special Rate	सुरक्षा श्रमिक प्रत्येक सेक्टर हेतु एक श्रमिक माह अप्रैल से माघ तक 01 श्रमिक प्रति माह... नोट :- सुरक्षा का कार्य वन प्रबंधन समिति के द्वारा किया जाना अनिवार्य किया जावे, जिसके अंतर्गत वन प्रबंधन समिति के द्वारा लिए गए निर्णय के अनुसार सुरक्षा राशि का भुगतान समिति के खाते में किया जाकर उनके द्वारा निर्धारित सुरक्षा श्रमिकों को रोपण क्षेत्र में रॉलिंग किया जावे। श्रमिकों की पारिश्रमिक राशि का भुगतान समिति स्तर पर किया जाकर अतिरिक्त बचत राशि का उपयोग वन प्रबंधन समिति स्तर पर ग्राम विकास कार्य हेतु व्यय किया जावेगा।	1 12	श्रमिक माह		L.S.	60000.00
3.2		अन्य आकस्मिक व्यय यथा साईनबोर्ड, गेट आदि की मरम्मत/निरीक्षण पथ एवं चौकीदार हट का रखरखाव कार्य					9858
							69858.00
		सुरक्षा एवं अन्य कार्य पर कुल व्यय :-					69858.00
		योग व्यय :-					161599.00
		सागरी / मजदूरी दरों में आकस्मिक वृद्धि कुल 10 प्रतिशत					8080.00
							169679.00
							15082.58
							15082.60

अन्वय वर्ष (2029-29)

अनुक्रम क्र. (2020-29)

क्र.	कार्य दर क्र.	कार्य का विवरण	कार्य मात्रा		दर	ईकाई	कुल मा.दि.	कुल राशि
1	2	3	4		5	6	7	8
1	1.1	Special Rate क्षेत्र सर्वेक्षण एवं परियोजना निर्माण अनुश्रवण एवं मूल्यांकन :- रोपण क्षेत्र में रोपित पीछों की ऊंचाई एवं गोलाई वृद्धि मापन का कार्य माह अक्टूबर एवं जनवरी/फरवरी में करते हुये डाटा एनालिसिस करना।	11250	पीछे	0.75	रु./पीछा	-	8438
पीछों की वृद्धि मापन पर व्यय :-								8438
2	2.1	फेसिंग कार्य फेसिंग मरम्मत कार्य (10 प्रतिशत)					L.S.	83303.00
फेसिंग रखरखाव एवं मरम्मत पर कुल व्यय :-								83303.00
3	3.1	Special Rate सुरक्षा एवं अन्य आकरिमक कार्य सुरक्षा श्रमिक प्रत्येक सेक्टर हेतु एक श्रमिक माह अप्रैल से मार्च तक 01 श्रमिक प्रति माह... नोट :- सुरक्षा का कार्य वन प्रबंधन समिति के द्वारा किया जाना अनिवार्य किया जावे, जिसके अंतर्गत वन प्रबंधन समिति के द्वारा लिए गए निर्णय के अनुसार सुरक्षा राशि का भुगतान समिति के खाते में किया जाकर उनके द्वारा निर्धारित सुरक्षा श्रमिकों को रोपण क्षेत्र में संलग्न किया जावे। श्रमिकों की पारिश्रमिक राशि का भुगतान समिति स्तर पर किया जाकर अतिरिक्त बचत राशि का उपयोग वन प्रबंधन समिति स्तर पर ग्राम विकास कार्य हेतु व्यय किया जावेगा।	1 12	श्रमिक माह			L.S.	60000.00
	3.2	अन्य आकरिमक व्यय यथा साईनबोर्ड, गेट आदि की मरम्मत					L.S.	16074.00
सुरक्षा एवं अन्य कार्य पर कुल व्यय :-								76074.00
योग व्यय :-								167815.00
सामग्री /मजदूरी दरों में आकरिमक वृद्धि कुल 10 प्रतिशत								8391.00
कुल योग								176206.00
प्रति हेक्टेयर व्यय								15662.76
या प्रति हेक्टेयर								15662.70

नवम् वर्ष (2029-30)

क्र.	कार्य दर क्र.	कार्य का विवरण	कार्य मात्रा	दर	ईकाई	कुल मा.दि.	कुल राशि	
1	2	3	4	5	6	7	8	
1	1.1	Special Rate क्षेत्र सर्वेक्षण एवं परियोजना निर्माण अनुश्रवण एवं मूल्यांकन :- रोपण क्षेत्र में रोपित पीछों की ऊंचाई एवं गोलाई वृद्धि मापन का कार्य माह अक्टूबर एवं जनवरी/फरवरी में करते हुये डाटा एनालिसिस करना।	11250	पीछे	0.75	रु./पीछा	-	8438.00
पीछों की वृद्धि मापन पर व्यय :-							8438.00	
2	2.1	फेसिंग कार्य फेसिंग मरम्मत कार्य (5 प्रतिशत)				L.S.	83303.00	
फेसिंग रखरखाव एवं मरम्मत पर कुल व्यय :-							83303.00	
3	3.1	Special Rate सुरक्षा एवं अन्य आकस्मिक कार्य सुरक्षा श्रमिक प्रत्येक सेक्टर हेतु एक श्रमिक माह अप्रैल से मार्च तक 01 श्रमिक प्रति माह... नोट :- सुरक्षा का कार्य वन प्रबंधन समिति के द्वारा किया जाना अनिवार्य किया जावे, जिसके अंतर्गत वन प्रबंधन समिति के द्वारा लिए गए निर्णय के अनुसार सुरक्षा राशि का भुगतान समिति के खाते में किया जाकर उनके द्वारा निर्धारित सुरक्षा श्रमिकों को रोपण क्षेत्र में संलग्न किया जावे। श्रमिकों की पारिश्रमिक राशि का भुगतान समिति स्तर पर किया जाकर अतिरिक्त बचत राशि का उपयोग वन प्रबंधन समिति स्तर पर ग्राम विकास कार्य हेतु व्यय किया जावेगा।	1 12	श्रमिक माह		L.S.	60000.00	
	3.2	अन्य आकस्मिक व्यय यथा साईनबोर्ड, गेट आदि की मरम्मत/निरीक्षण पथ एवं चौकीदार हट का रखरखाव कार्य				L.S.	20852.00	
सुरक्षा एवं अन्य कार्य पर कुल व्यय :-							80852.00	
योग व्यय :-							172593.00	
सामग्री / मजदूरी दरों में आकस्मिक वृद्धि कुल 15 प्रतिशत							25889.00	
कुल योग							198482.00	
प्रति हेक्टेयर व्यय							17642.80	

दशम वर्ष (2030-31)								
क्र.	कार्य दर क्र.	कार्य का विवरण	कार्य मात्रा		दर	ईकाई	कुल मा.दि.	कुल राशि
1	2	3	4		5	6	7	8
1.1	Special Rate	क्षेत्र सर्वेक्षण एवं परियोजना निर्माण अनुभव एवं मूल्यांकन :- रोपण क्षेत्र में रोपित पौधों की ऊंचाई एवं गोलाई वृद्धि मापन का कार्य माघ अक्टूबर एवं जनवरी/फरवरी में करते हुये डाटा एनालिसिस करना।	11250	पौधे	0.75	रू./पौधा	-	8438
		अन्य कल्चरल अपरेशन	पौधों की वृद्धि मापन पर व्यय :-					8438
2.1	Special Rate	दस वर्षीय थिनिंग कार्य :- रोपण के दसवें वर्ष में सागरिया फार्मुला के तहत स्वरथ पौधों की गोलाई एवं प्रति हेक्टेयर पौधों की गणना कर औसत गोलाई के दस गुना अन्तराल पर स्वरथ पौधों को रोकते हुए विकृत एवं कमजोर पौधों की कटाई की जावेगी। इससे स्वरथ पौधों को बढ़ने हेतु पर्याप्त अवसर प्राप्त होगा।	11.250	हे.	25.00	मा.दि./हे.	281.25	84375
		अन्य कल्चरल अपरेशन के तहत रोपित पौधों में दस वर्षीय थिनिंग कार्य पर व्यय :-						84375
3.1	Special Rate	सुरक्षा एवं अन्य आकस्मिक कार्य सुरक्षा श्रमिक प्रत्येक सेक्टर हेतु एक श्रमिक माह अप्रैल से माघ तक 01 श्रमिक प्रति माह.... नोट :- सुरक्षा का कार्य वन प्रबंधन समिति के द्वारा किया जाना सनिश्चित किया जावे, जिसके अंतर्गत वन प्रबंधन समिति के द्वारा लिए गए निर्णय के अनुसार सुरक्षा राशि का भुगतान समिति के खाते में किया जाकर उनके द्वारा निर्धारित सुरक्षा श्रमिकों को रोपण क्षेत्र में संलग्न किया जावे। श्रमिकों की पारिश्रमिक राशि का भुगतान समिति स्तर पर किया जाकर अतिरिक्त बचत राशि का उपयोग वन प्रबंधन समिति स्तर पर ग्राम विकास कार्य हेतु व्यय किया जावेगा।	1 12	श्रमिक माह			L.S.	60000.00
3.2		अन्य आकस्मिक व्यय यथा साईनबोर्ड, गेट आदि की मरम्मत/निरीक्षण पथ एवं चौकीदार हट का रखरखाव कार्य					L.S.	48994.00
सुरक्षा एवं अन्य कार्य पर कुल व्यय :-								108994.00
योग व्यय :-								201807.00
सामग्री / मजदूरी दरों में आकस्मिक वृद्धि कुल 15 प्रतिशत								30271.00
कुल योग								232078.00
प्रति हेक्टेयर व्यय								20629.16
या प्रति हेक्टेयर व्यय								20629.00

परियोजना लागत गोशवारा

क्र.	वर्ष	प्राक्कलित राशि	प्रति हे. व्यय
1	प्रथम वर्ष (2021-22)	3800925.00	337860.00
2	द्वितीय वर्ष (2022-23)	1878795.00	167004.00
3	तृतीय वर्ष (2023-24)	734293.00	65270.50
4	चतुर्थ वर्ष (2024-25)	559750.00	49755.50
5	पंचम वर्ष (2025-26)	234330.00	20829.30
6	षष्ठम वर्ष (2026-27)	186003.00	16533.60
7	सप्तम वर्ष (2027-28)	169679.00	15082.60
8	अष्टम वर्ष (2028-29)	176206.00	15662.70
9	नवम् वर्ष (2029-30)	198482.00	17642.80
10	दशम वर्ष (2030-31)	232078.00	20629.00
योग		8170541.00	726270.00

उप वनमंडलाधिकारी
पाली

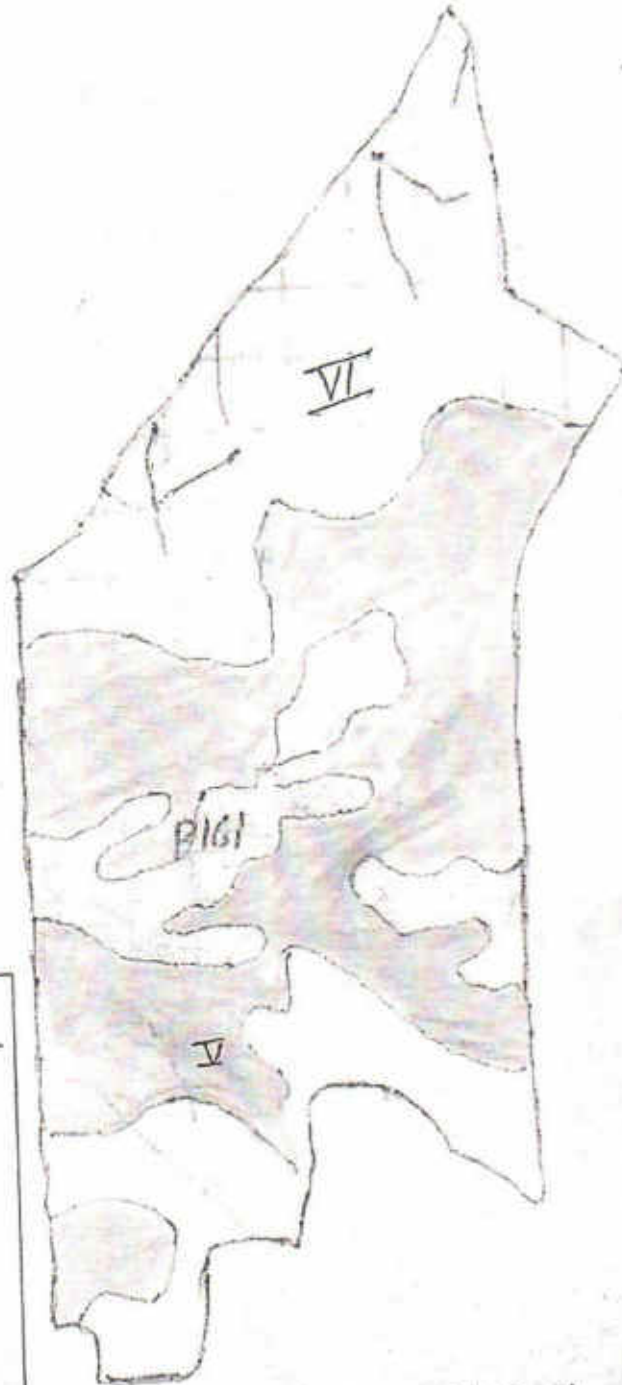
वनमंडलाधिकारी
कटघोरा वनमंडल कटघोरा

वन परिक्षेत्र अधिकारी
पाली

संनिधि मानचित्र
 क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण मुरली
 कक्ष क्र. - पी. 161, कुल रकबा - 194.025 हे. कार्य योग्य रकबा 11.25 हे.



Scale - 1:15000



- | | संकेत |
|--------------------|------------------------------|
| 1. कक्ष की सीमा : | — 0 — 0 — |
| 2. कूप की सीमा : | ----- |
| 3. नदी-नाले - | ~~~~~ |
| 4. वन का प्रकार : | ☐ |
| 5. अतिक्रमण : | ENC ☐ |
| 6. गुणवत्ता श्रेणी | ☐ |

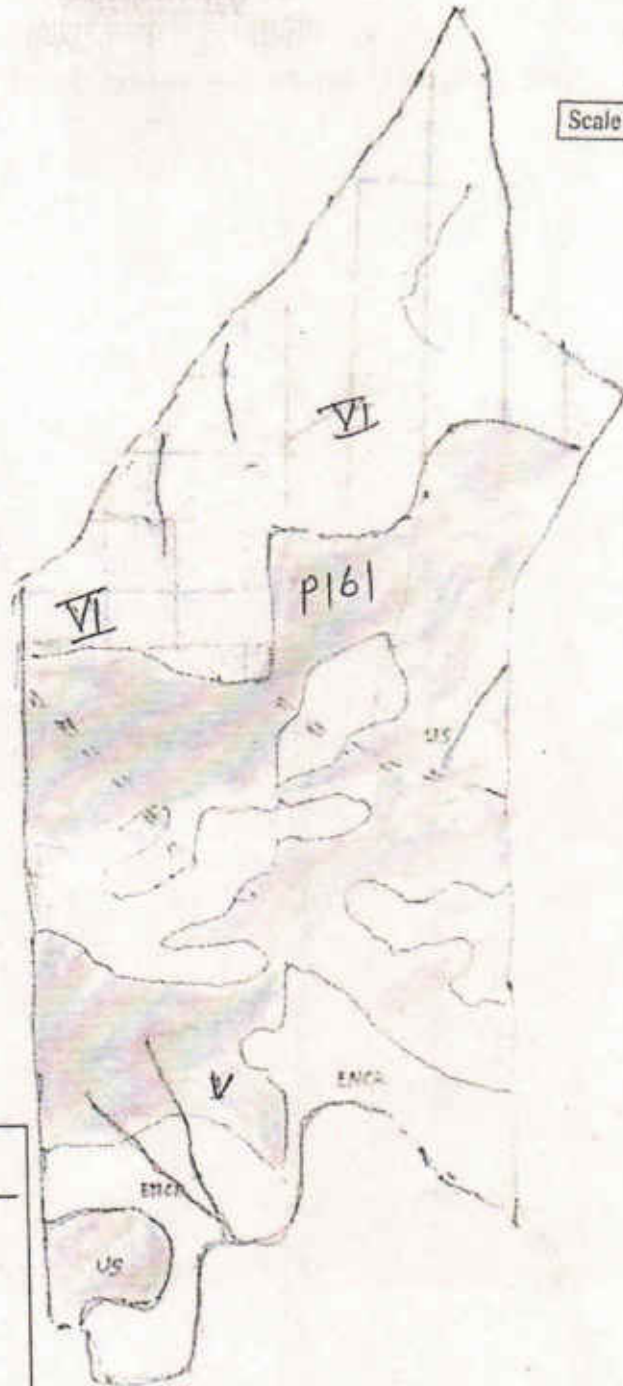
वन परिक्षेत्र अधिकारी
 पाली

परिक्षेत्र सहायक
 वृत्त, मुम्बई

पुनरिक्षित संगिधि मानचित्र
क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण मुरली
कक्ष क्र. - पी. 161, कुल रकबा - 194.025 हे.कार्द योग्य रकबा 11.25 हे.



Scale - 1:15000



	संकेत
1. कक्ष की सीमा :	— 0 — 0 —
2. कूप की सीमा :	-----
3. नदी-नाले -	~~~~~
4. वन का प्रकार :	ENC
5. अतिक्रमण :	ENC
6. गुणवत्ता श्रेणी	..

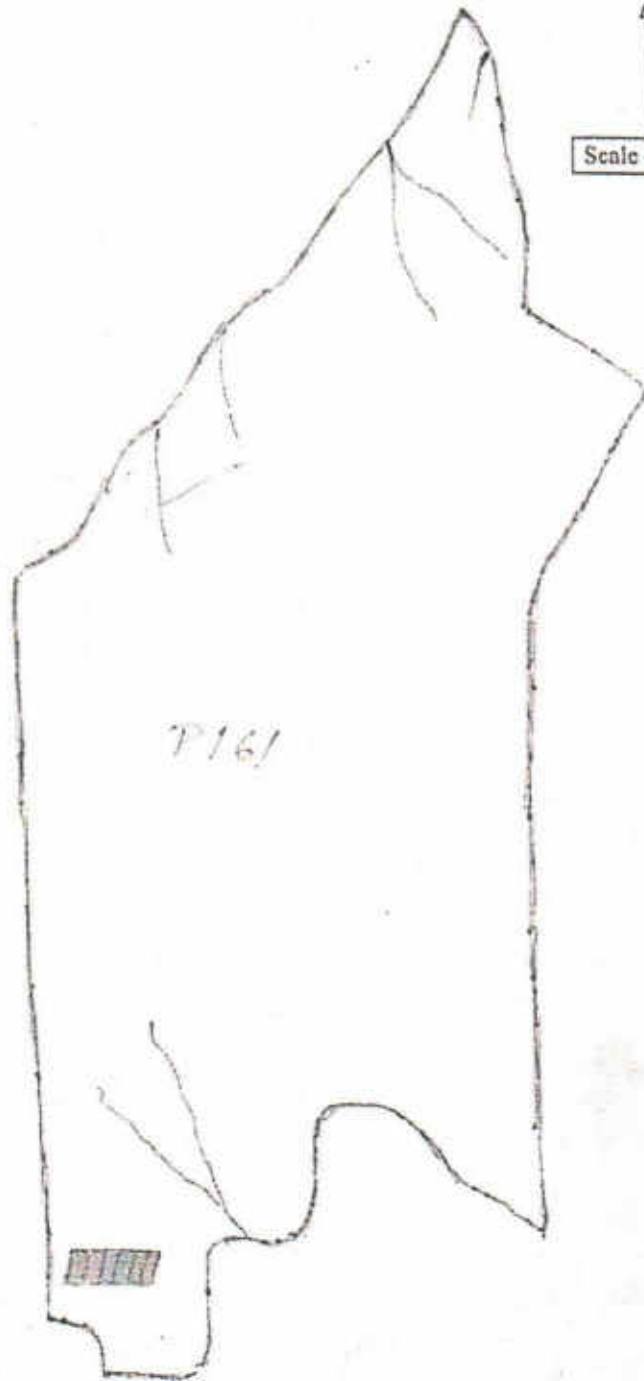
वन परिक्षेत्र अधिकारी
मुरली

अ. सिंह
परिक्षेत्र सहायक
वृक्षारोपण

उपचार मानचित्र
क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण मुरली
कक्ष क्र. - पी. 161, कुल रकबा - 194.025 हे. कार्य योग्य रकबा 11.25 हे.



Scale - 1:15000

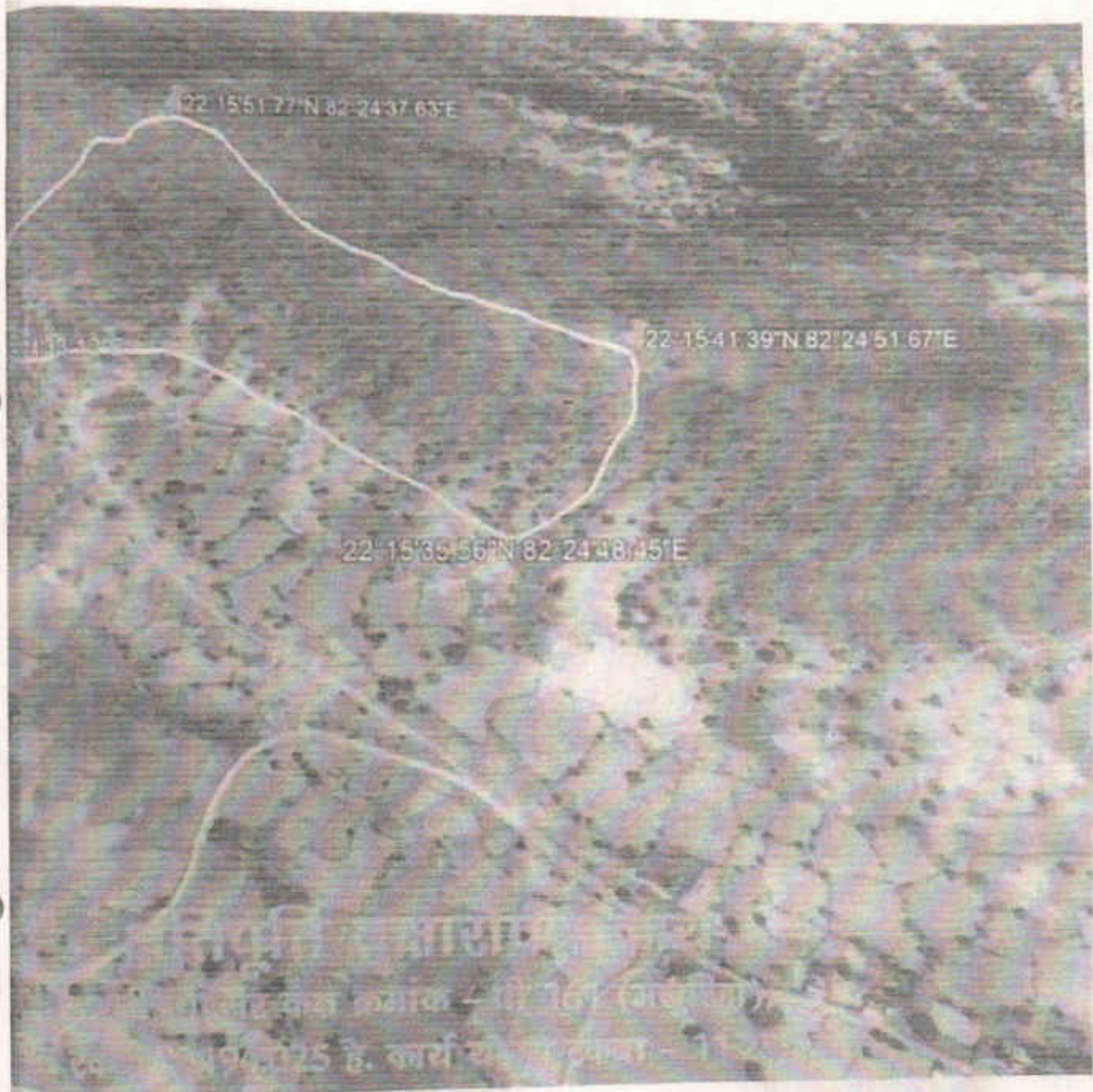


संकेत

1. कक्ष की सीमा	: — 0 — 0 —
2. नदी-नाले	:
3. प्रस्तावित क्षेत्र	:

वन परिक्षेत्र अधिकारी
मुरली

अ. सिंह
परिक्षेत्र सहायक
वृक्षारोपण



पञ्च प्रखण्ड विकास समिति
पञ्च प्रखण्ड विकास समिति - १
पञ्च प्रखण्ड विकास समिति - २
पञ्च प्रखण्ड विकास समिति - ३
पञ्च प्रखण्ड विकास समिति - ४
पञ्च प्रखण्ड विकास समिति - ५

पञ्च प्रखण्ड विकास समिति
पञ्च प्रखण्ड विकास समिति - १
पञ्च प्रखण्ड विकास समिति - २
पञ्च प्रखण्ड विकास समिति - ३
पञ्च प्रखण्ड विकास समिति - ४
पञ्च प्रखण्ड विकास समिति - ५

Scanned with CamScanner

SEEPAT ROAD

P.O.: SECL
BILASPUR



साउथईस्टर्नकोलफिल्ड्सलिमिटेड
South Eastern Coalfields Limited
(कोयलाभारत लिमिटेड का एक संयुक्त/अ subsidiary of Coal India Ltd.)
CIN U10102CT1985GOI003161
Website : www.secl-cil.in

कार्यालय: महाप्रबंधक, गेवरा क्षेत्र
OFFICE OF THE GENERAL MANAGER
GEVRA AREA

जिला: कोरबा (छत्तीसगढ़)
पिन: 495452

STD : 07815 275430(O)
: 7815 275032(R)
Fax : 07815 275434
email : gevrasenvt@gmail.com

पोस्टाड्रेस: गेवरा प्रोजेक्ट
P.O. : GEVRA PROJECT
Distt.: Korba (C.G.)
Pin: 495452

क्रमांक/एस.ई.सी.एल/मप्र/गे.क्ष./ पर्यावरण/2021 / 75

दिनांक 08/06/2021

To
The DFO
Katghora Division

SUB: Proposal seeking prior approval of the Central Government under Section-2 of the Forest (Conservation) Act, 1980 for non-forestry use of diversion of 112.385 ha of Revenue forest land for Gevra Open Cast Mine (OCM) in Katghora Forest Range, District-Korba Chhattisgarh in favour of SECL, Chhattisgarh reg.

REF: Ministry of Environment, Forests and Climate Change (Forest Conservation Division)
vide letter Dt: 14.05.2021

Dear Madam

With reference to the above referred letter, the updated status of Reclamation as on 01.04.2021, Biological reclamation map & photographs with GPS Location is enclosed herewith for further necessary action.

Thanking you.

Yours Sincerely


General Manager
SECL Gevra Area

Copy to:

1. The Principal Secretary (Forests), Government of Chhattisgarh, Naya Raipur
2. Additional Principal Chief Conservator of Forest, Raipur
3. Chief Conservator of Forest, Bilaspur



चार नग सी.डी. प्रालि किया

Status of Technical & Biological Reclamation as on 01.04.2021
SECL Gevra OCP

Internal Dump / Backfilled area details (In Ha.)										External OB dump Details (In Ha.)				Total Reclaimed Area (In Ha.)	
Total Quarriable area	Void to be left at the closure of the project	Total Area Excavated	Private area not required to be backfilled	Total Area under technical reclamation	Balance Area to be Technical y reclaimed	Area Biological y reclaimed	Balance area to be biological y reclaimed	Total area technical y reclaimed	Balance area to be technical y reclaimed	Total area biological y reclaimed	Balance area to be biological y reclaimed	Total area technical y reclaimed	Balance area to be biological y reclaimed	Total Reclaimed area	Total Biological y reclaimed area
2037.350	659.250	1668.720	439.994	802.329	270.497	122.600	1006.126	374.331	0	367.200	7.131	1228.560	499.800		

As on 01.04.2021 the total area biologically reclaimed is 489.800 Ha. with a total plantation of 1383470 saplings.

Yearly Status of Technical & Biological Reclamation since April 2017
SECL Gevra OCP

Year	Internal Dump / Backfilled area details (In Ha.)										External OB dump Details (In Ha.)				Total Reclaimed Area (In Ha.)		Total No. of saplings as on date
	Total Quarriable area	Void to be left at the closure of the project	Total Area Excavated	Private area not required to be backfilled	Total Area under technical reclamation	Balance Area to be Technical y reclaimed	Area Biological y reclaimed	Balance area to be biological y reclaimed	Total area technical y reclaimed	Balance area to be technical y reclaimed	Total area biological y reclaimed	Balance area to be biological y reclaimed	Total area technical y reclaimed	Balance area to be biological y reclaimed	Total Reclaimed area	Total Biological y reclaimed area	
2017	2037.250	659.250	1419.000	459.136	694.663	265.161	122.600	837.314	374.331	0	282.900	92.131	1068.994	404.800	1323470		
2018	2037.250	659.250	1450.000	478.925	760.231	240.844	122.600	878.476	374.331	0	312.000	62.131	1194.562	434.800	1323470		
2019	2037.250	659.250	1566.690	506.949	789.135	270.516	122.600	937.051	374.331	0	367.200	7.131	1163.466	489.800	1383470		
2020	2037.250	659.250	1639.100	530.409	842.991	265.709	122.600	986.091	374.331	0	367.200	7.131	1217.322	499.800	1383470		


 Nodal Officer (E&P/GEVRA)
 SECL Gevra Area
 SECL, GEVRA, JHARKHAND

Gevra OC

Biologically Reclaimed Area

Khushiudin

Sahara India - Dipka Branch

CISF UNIT, SECL-BILASPUR

Gangatagar market

Premnagar

Kuchana

Amgaon

Gevra Stadium

SECL Gevra Project

Chingapur

Gevra Coal Mines (SECL)

Malgaon

Pond

JAI BHAWANI MAHASALI

Barbhatta

Ghatmuda

Bahanpath

Radha Krishna Mandir

Mudiyana

Raliya

Hardi Bazar

Shiv Mandir

Google Earth

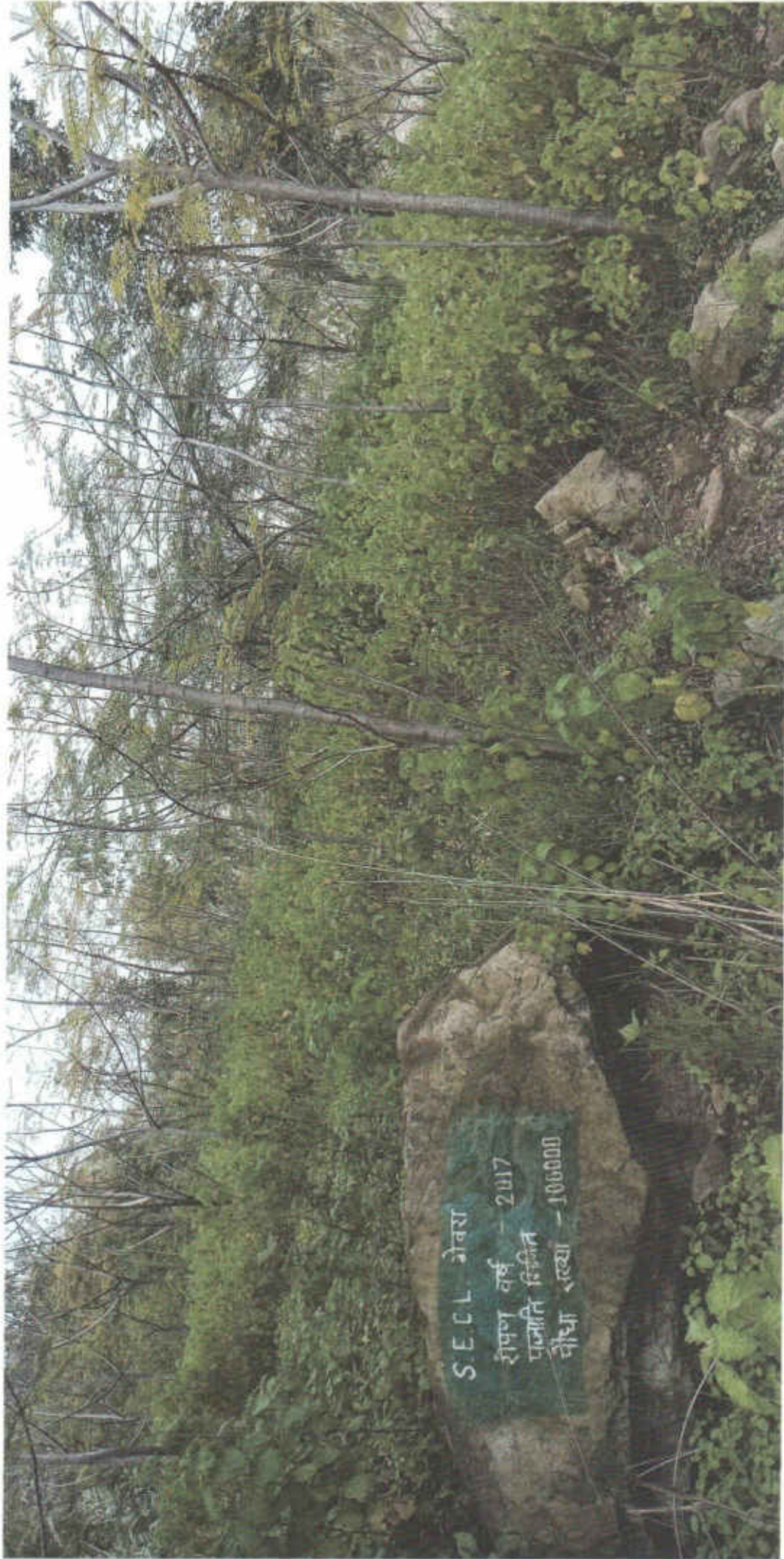
Image © 2021 Mapbox, GeoNames

Legend

Reclaimed

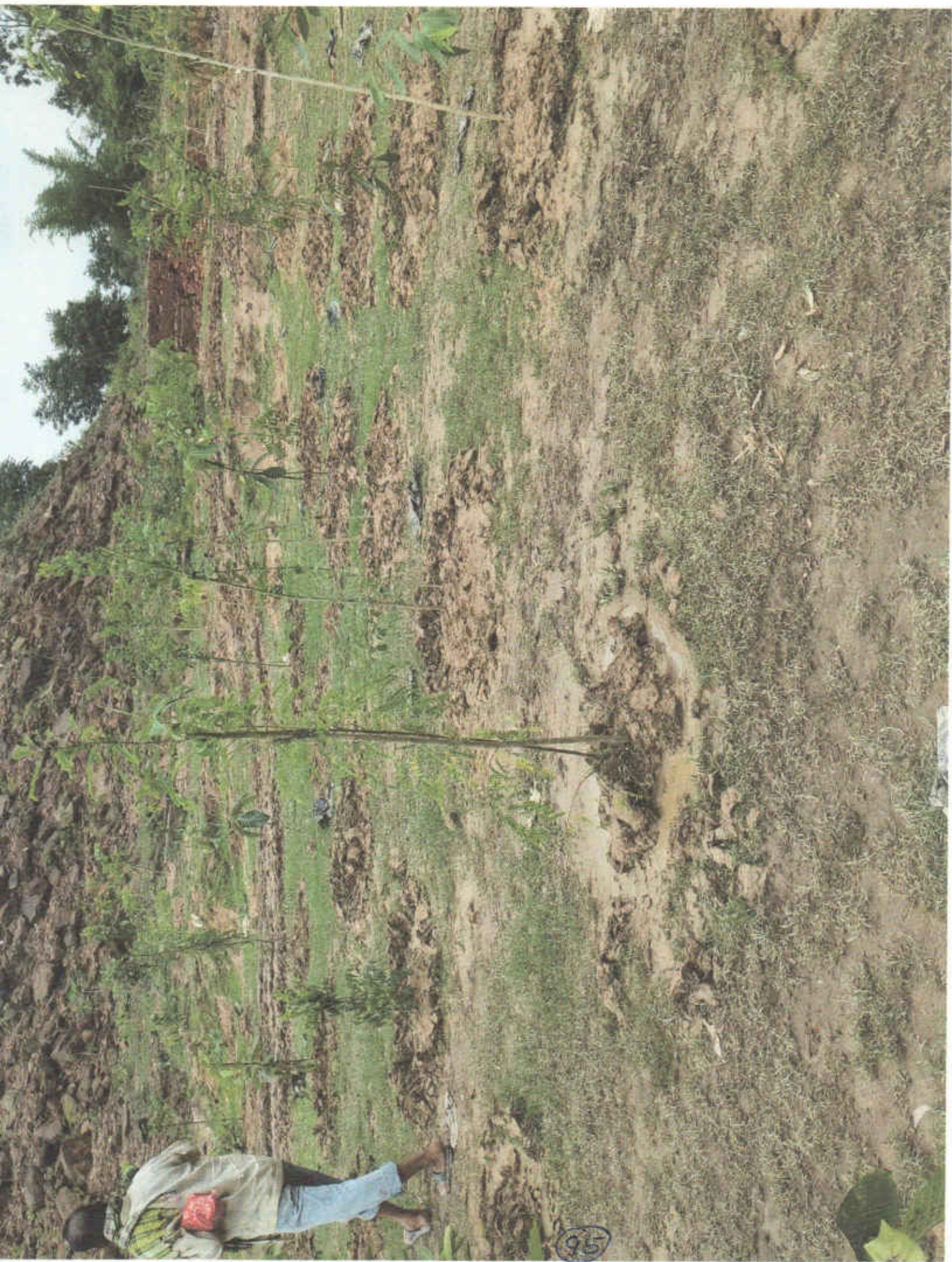
3 km

N



SECL. गेवरा
रोपण वर्ष - 2017
पुनर्निर्मित
वैद्या - 100000







Government of India
Ministry of Environment, Forests and Climate Change
(Forest Conservation Division)

Indira Paryavaran Bhawan,
Alignaj, Jorbagh Road,
New Delhi - 110003
Dated: 14th May, 2021

To,
The Principal Secretary (Forests),
Government of Chhattisgarh,
Naya Raipur

Sub: Proposal seeking prior approval of the Central Government under Section-2 of the Forest (Conservation) Act, 1980 for non-forestry use of diversion of 112.385 ha of Revenue forest land for Gevra Open Cast Mine (OCM) in Katghora Forest Range, District-Korba Chhattisgarh in favour of SECL, Chhattisgarh -reg.

Sir,

I am directed to refer to the Government of Chhattisgarh's letter no. 5-12/2017/10-2 dated 25.11.2020 on the above subject forwarding a report on the compliance of conditions stipulated in the Stage-I approval dated 29.07.2017 and this Ministry's letter of even number dated 22.01.2021 seeking additional information observed to be sought in the compliance report. In this connection, it is to inform that matter has been further examined in the Ministry in light of provisions stipulated in condition no. (xv) of the Stage-I approval wherein it is observed that for want of availability of the members of the Sub-Committee mentioned therein, site visit to the proposed area could not be conducted to assess the status of reclamation by the User Agency. With a view to ensure compliance of said condition, it has been desired that updated status of reclamation under taken by the User Agency in their lease area may be intimated by the State Government.

In view of the above, I am directed to request the State Government to submit the information, as indicated above, to this Ministry for further necessary action in the matter.

Yours faithfully,

sd/-
(Charan Jeet Singh)
Scientist 'D'

Copy to:

1. The PCCF, Government of Chhattisgarh, Naya Raipur
2. Addl. PCCF & Nodal officer, O/o the PCCF, Government of Chhattisgarh, Naya Raipur
3. The Regional Officer, Integrated Regional Office of the MoEF&CC at Naya Raipur.
4. Monitoring Cell of FC Division
5. User Agency

File No.8-41/2017FC

6. Guard File

Validity unknown

Digitally signed by ANARAN
JEET SINGH
Date: 2021.05.16 22:59 IST



100